



The Delhi Sports University Act, 2019

Act 1 of 2020

Keyword(s):

Academic Staff, Centre for Community Outreach and Extension Services, Centre for Professional Excellence in Sports, Controller of Examination, Delhi Sports School, Finance Committee

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

④

GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE & LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

No. F.14(64)/LA-2019/cons2law/1-10

Dated the 6- January, 2020

To

The Special Secretary (GAD),
General Administration Department,
Government of NCT of Delhi
2nd Level, A-Wing,
Delhi Secretariat,
New Delhi.


Sub: Gazette Notification of the Delhi Sports University Bill, 2019 (Delhi Act 01 of 2020))

Sir,

I am directed to forward herewith two copies of the subject cited notification (English and Hindi versions) for publishing in the Delhi Gazette (Part-IV)-Extra-Ordinary today itself. It is requested that at least 10 Gazette copies of the same may be sent to this Department as soon as received from the press.

Encl: As above

Yours faithfully,



(Sunil Kumar Sharma)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

No. F.14(64)/LA-2019/cons2law/1-10


Dated the 6-January, 2020

Copy, together with the copy of enclosures, forwarded for information and necessary action to:-

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Home Affairs, New Delhi-110001 (with 5 copies).
2. The Joint Secretary & Legislative Counsel, Government of India, Ministry of Law & Justice, Legislative Department (Correction Cell), Shastri Bhawan, New Delhi-110001 (with 2 copies).
3. The Pr. Secretary to Lieutenant Governor, Delhi, Raj Niwas, Delhi-110054.
4. The Pr. Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
5. The Pr. Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
6. The Secretary (Higher Education), Govt. of NCT of Delhi, 5 Sham Nath Marg, New Delhi-110054.
7. The OSD to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi-110002.
8. The Secretary (LA), Delhi Legislative Assembly Secretariat, Old Secretariat, Delhi-110054.
9. Guard file.

1063/leg
13/01/2020

Handy get it updated on
website also.
So (Liqu)
1301-2020



(Sunil Kumar Sharma)
Addl. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(TO BE PUBLISHED IN PART –IV OF THE DELHI GAZETTE EXTRAORDINARY)
GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
(DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS)
8TH LEVEL, C-WING, DELHI SECRETARIAT, NEW DELHI

F.14(64)/LA-2019/cons2law/-/0

Dated 6 January, 2020

NOTIFICATION

NO. F.14(64)/LA-2019/cons2law/-/0

The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 31st December, 2019 and is hereby published for general information:-

"THE DELHI SPORTS UNIVERSITY ACT, 2019
(DELHI ACT 01 OF 2020)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 2nd December, 2019)

[31st December, 2019]

An Act to establish and incorporate a Sports University at Delhi to facilitate and promote the Sports Studies, research and extension work in emerging areas of Sports Education with focus on liberal sports activities and science, for example promote the world class sports persons, trainers, sporting professional and to promote health care among masses through physical education & the spirit of sporting & also to achieve excellence in these and connected fields and other matter connecting therewith or incidental thereto.

BE it enacted by Delhi Legislature of the National Capital Territory of Delhi in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

1. Short Title, Extent and Commencement :-

- (i) This Act may be called the Delhi Sports University Act, 2019.
- (ii) It shall come into force on such date as the Government of the National Capital Territory may, by notification in the Official Gazette, appoint.

2. Definitions: - In this Act, unless the context otherwise requires,

- (i) "Academic staff" means such categories of staff as are designated by the Statutes of the University to be the academic staff of the University;
- (ii) "Board" means the Board of Management of the University;
- (iii) "Board of Sports Studies" means the Board of Sports Studies as may be constituted under the Statutes of the University;
- (iv) "Campus" means the one or multiple units established or constituted by the University for imparting instructions, conducting training or research, or all of these;
- (v) "Centre for Community Outreach and Extension Services" means the Centre for Community Outreach and Extension Services of the University;
- (vi) "Centre for Professional Excellence in Sports" means the Centre for Professional Excellence in Sports of the University;
- (vii) "Chancellor", "Vice-Chancellor" and "Pro Vice-Chancellor" mean, respectively the Chancellor, the Vice-Chancellor and the Pro Vice-Chancellor of the University;
- (viii) "Controller of Examinations" means Controller of Examinations of the University;
- (ix) "Controller of Finance" means Controller of Finance of the University ;
- (x) "Court" means the Court of the University;

- (xiii) **"Delhi"** means the National Capital Territory of Delhi.
- (xiv) **"Delhi Sports School"** means the Delhi Sports School established, controlled and administered by the University.
- (xv) **"Department"** means Sports Academic Department within a Faculty;
- (xvi) **"Employee"** means any person appointed by the University;
- (xvii) **"Finance Committee"** means the Finance Committee of the University;
- (xviii) **"Government"** means Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the constitution;
- (xix) **"Lieutenant Governor"** means the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President of India under Article 239 and designated as such under Article 239 AA of the Constitution;
- (xx) **"Misconduct"** means a misconduct prescribed by the Statutes and the Ordinance;
- (xxi) **"Notification"** means a notification published in the Official Gazette;
- (xxii) **"Prescribed"** means prescribed by the Statutes made under this Act;
- (xxiii) **"Principal"** means the Principal of the Delhi Sports School and includes, where there is no Principal, the person who is for the time being duly appointed to act as the Principal, and in the absence of the Principal or the acting Principal, as the case may be, a Vice-Principal duly appointed as such;
- (xxiv) **"Registrar"** means the Registrar of the University;
- (xxv) **"School"** means the Delhi Sports School established and administered by the University;
- (xxvi) **"Senate"** means the Senate of the University;
- (xxvii) **"Staff"** means all teaching and non-teaching staff of the University;
- (xxviii) **"Statutes", "Ordinances" and "Regulations"** mean respectively the Statutes, Ordinances and Regulations as made under this Act and as applicable for the time being in force;
- (xxix) **"University"** means the Delhi Sports University as incorporated under this Act;
- (xxx) **"University Schools of Studies"** mean University Schools of Studies as set up by the University
- (xxxi) **"University teachers"** means such persons as may be appointed for imparting instruction, doing research in any area of academics or sports or conducting training or coaching in one or other area of

- (ii) The Delhi Sports University shall be a body corporate having perpetual succession and a common seal with power, subject to the provisions of this Act, to acquire, hold and dispose of property and to contract, and may by the said name sue or be sued.

Provided that the land acquired and building constructed with the assistance of the Government shall not be disposed without the prior approval of the Government.

- (iii) The Chancellor, the first Vice-Chancellor, the first members of the Board of Management, the first members of the Council of Sports and Academics and the first Registrar of the University so long as they continue to hold such office or membership and all such persons as may hereafter be appointed at such office or as members are hereby constituted a body corporate by the name of 'Delhi Sports University'.

4. University Open to All:-

- (i) The enrolment, employment and such other facilities or the privileges of the University shall be open to all eligible persons of either sex without any discrimination on the basis of race, religion, region, creed, caste, class.
- (ii) Nothing in this section shall be deemed to prevent the University from making any special provision in the nature of affirmative action for the benefit of women or of persons belonging to the weaker sections of the society.

5. Objectives of the University:-

- (i) The Delhi Sports University shall be a University dedicated to promotion of sports, academics and research in various aspects of sports and the allied disciplines like health & exercise sciences. It shall seek to promote professional excellence in sports and allied disciplines. It shall promote knowledge, academics, research and professional activities in sports, sports related areas, health and exercise sciences.
- (ii) Without prejudice to the general objectives of the University as stated in Sub Section(i) above, the University shall have the following objectives namely;
- (a) To develop an institutional framework i.e. to develop a eco-system for promotion of sports in the National Capital Territory of Delhi and for the nation as a whole.
 - (b) To promote the research, knowledge development and dissemination, academics with professional activity orientation in sports.
 - (c) To inculcate multi-disciplinarity in sports and related disciplines to enhance the employability of the sports professionals.
 - (d) To popularize sports through various community outreach and extension programme so as to promote general health of the masses through the sports and related disciplines like physical education and exercise sciences.
 - (e) To promote quality sports education, develop centre of excellence and promote sports as a full time career.
 - (f) To setup systems for talent scouting and mentoring at the grassroots level.
 - (g) To develop systems for efficient sports event organization, and promotion of Sports Event.
 - (h) To develop processes for strengthening and professionalizing the Sports Federations in the country.
 - (i) To develop mechanisms for State - Industry interface.
 - (j) To develop academic processes for development of world class sports infrastructure development.
 - (k) To provide for instruction in such branches of learning as the University may, from time to time, determine and to make provision for research and for the advancement and dissemination of knowledge and skills.

(i) The University shall have all such powers and shall perform all such functions which are required to achieve its objectives and are integral to the functioning of a dedicated institution of higher learning for holistic promotion of sports, academics and research in various aspects of sports and allied disciplines including promotion of professional excellence in sports, promotion of research, academics and training in various areas of sports and its allied disciplines.

(ii) Without prejudice to the generality of powers and functions as stated in Sub Section (i) above, the University shall have following powers and functions;

- (a) To create and institute systems and processes for teaching, learning, research, training, professional development and excellence or the community outreach and extension services in the area of sports, sports related areas or the allied disciplines.
- (b) To award, subject to such conditions as the University may determine, diplomas and certificates to, and confer degrees and other academic distinctions on the basis of examinations, evaluation or any other method of testing on, persons;
- (c) To confer honorary degrees or other distinctions in the manner prescribed by the Statutes;
- (d) To receive benefactions, donations and gifts from persons and to name after them such chairs, institutions, buildings and the like as the University may determine, whose gift or donation to the University is worth such amount as the University may decide;
- (e) To create academic, sports-professional, administrative, ministerial and other posts in the University and to make appointments thereto in accordance with the statutes of University;
- (f) To provide for the terms and conditions of service of—
 - i) teachers, researchers and the sports-professionals appointed by the University;
 - ii) other employees appointed by the University;
- (g) To appoint persons working in any other university or organization as teachers, trainers or sports professional of the University for a specified period;

With the prior approval of Board of Management (BOM)
- (h) To co-operate or collaborate or associate with any other university, authority or sports related organization or institution of higher learning in such manner and for such purpose as the University may determine;
- (i) To approve persons working in any institution co-operating, collaborating or associating with the University, for imparting instruction or supervising research, conducting sports training or such other activities falling within the domain of the University, and to withdraw such approval;
- (j) To approve an institution of higher learning or institutions of specialized sports training and to withdraw such approval;
- (k) To approve persons working in any approved institution for imparting instruction or supervising research, or imparting sports training and to withdraw such approval; with the prior approval of Board of Management (BOM).
- (l) To build a body of academia to perform academic functions, and to pay them remuneration in the manner prescribed;
- (m) To build a body of sports trainers to train sports professionals and to pay them remuneration in the manner as prescribed;
- (n) To set up facilities for sports, academics, research, training or coaching etc;
- (o) To set up facilities for regular and specialized training in various kinds of sports, and health related exercise sciences
- (p) To set up curriculum development centres for various academic subjects and sports training modules for various sports and games;
- (q) To establish and maintain sports training centers and facilities and such other centers of

- (t) To institute and award fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes;
- (u) To demand and receive payment of fees and other charges;
- (v) To supervise the residence of the students of the University and to make arrangements for promoting their health and general welfare;
- (w) To make such special arrangements in respect of women students as the University may consider desirable;
- (x) To regulate the conduct of the students of the University;
- (y) To regulate the work and conduct of the employees of the University;
- (z) To regulate and enforce discipline among the employees and the students of the University and take such disciplinary measures in this regard as may be deemed necessary;
- (aa) To make arrangements for promoting the health and general welfare of the employees of the University;
- (bb) To acquire, hold, manage and dispose of any property, movable or immovable, including trust and endowment properties, for the purposes of the University; with the prior approval of the Board of Management (BoM).
- (cc) To borrow, with the approval of the Government, on security of the property of the University, moneys for the purposes of the University;
- (dd) To assess the needs of the students in terms of subjects, fields of specialization, levels of education and training of technical manpower, both on short and long term basis, and to initiate necessary programmes to meet these needs;
- (ee) To initiate measures to enlist the co-operation of the sports industry and sports professionals to promote the professional excellence in sports, the academia and research in sports;
- (ff) To provide for instruction through "distance learning" and "open approach" and for mobility of students from the non-formal (open learning) stream to the formal stream and vice-versa;
- (gg) To evolve an operational scheme for enforcing the accountability of the teachers and other employees to the University system;
- (hh) To prescribe a Code of Ethics for the teachers, Code of Conduct for other employees and Code of Discipline for the students; and
- (ii) To do all such other acts and things as may be necessary or incidental to the exercise of all or any of the powers of the University or necessary for conducive to the attainment of all or any of the objects of the University.

7. Distinctive Features of the University:-

- (i) It shall be a State University established by and maintained and administered under the auspices of the Government of the National Capital Territory of Delhi.
- (ii) The University shall endeavor to operate on sports facilities sharing model, where in the University shall share the existing sports facilities and infrastructure under the command of Government of Delhi and its agencies.
- (iii) It shall conduct academic programmes similar to formal education system of the University however, it shall multiple entry point for the sports persons, who may do the prescribed bridge courses and join the formal education system.
- (iv) It shall have a comprehensive physical and academic infrastructure for development and research in methodology, equipment, physical fitness, sports medicine etc.

- (vi) It shall have University Schools of Studies and offer courses in various disciplines of study to impart specialized training in Sports Medicine, Sports Technology, Sports Businesses & Sports Events and Media Management and such other courses as may be considered needful.
- (vii) The University shall be established by the initial grant of the Delhi Government, however, it shall be encouraged to evolve and develop its own revenue generation models for its recurring expenditures.
- (viii) The University shall endeavor to participate in various kinds of community outreach and extension programmes for promotion of sports, sporting spirit, healthy life styles, sports recreation and physical exercises etc. with special emphasis on women and persons with special needs like physically challenged, senior citizens, etc.
- (ix) For promotion of sports and sports based training and talent mentoring the University shall endeavor to collaborate with similar national and international institutions.
- (x) The University shall focus on identification of sports talent in the National Capital Territory of Delhi in particular and the nation in general, training and nurturing of these talents for their all-round development and the educational knowledge impartment to these persons so that they can transit to normal society after the end of their sports career.
- (xi) The University shall promote, maintain and administer a specialized boarding school for school level education and promotion of sports excellence and sports talent alongside the formal school education.
- (xii) The University shall have multiple entry points to encourage aspirants, students and the professionals to engage in one or other aspects of sports.
- (xiii) The university shall have an equal quota for the students of sports school, Vasant Kunj, at par with the sports school within the University for Admission in the university at the appropriate entry point.

8. **Authorities of the University:** The following shall be the authorities of the University namely:-

- (i) The Board of Management;
- (ii) The Court
- (iii) The Senate
- (iv) The Council of Sports and Academics;
- (v) The Board of Sports Studies;
- (vi) The Finance Committee; and
- (vii) Such other authority as may be declared as an authority of the University and its functions defined by the Statutes of the University.

9. **The Visitor**

- (i) The President of the Republic of India shall be the visitor of the University.
- (ii) Any dispute arising between the University and any other University established by law in Delhi may be referred to the Visitor, whose decision shall be final and binding on the parties.

10. **The Chancellor**

- (i) The Lieutenant Governor of Delhi shall be the Chancellor of the University.
- (ii) The Chancellor shall be the highest authority of the University and shall, if present, preside over the convocation of the University for conferring degrees.
- (iii) The Chancellor shall, subject to the provisions of this Act, exercise such powers as may be prescribed.

to cause an inquiry to be made in the like manner in respect of any matter connected with the administration or finances of the University, its centres or division as the case may be.

- (b) The Chancellor shall, in every case, give notice to the University of his intention to cause an inspection or inquiry to be made and the University shall, on receipt of such notice, have the right to make such representation to the Chancellor, as it may consider necessary, within such period as specified in the notice.
- (c) After considering the representation, if any, made by the University, the Chancellor may cause to be made such inspection or inquiry as is referred to in sub-section(3).
- (d) Where an inspection or inquiry has been caused to be made by the Chancellor, the University shall be entitled to appoint a representative who shall have the right to be present and be heard at such inspection or inquiry.
- (e) The Chancellor may address the Vice-Chancellor with reference to the result of such inspection or inquiry as is referred to in sub-section (3) and the Vice-Chancellor shall communicate to the Board of Management the views of the Chancellor with such advice as the Chancellor may be pleased to offer upon the action to be taken thereon.
- (f) The Board of Management shall communicate through the Vice-Chancellor to the Chancellor on action, if any, as it proposes to take or has been taken by it upon the result of such inspection or inquiry.
- (g) Where the Board of Management does not, within a reasonable time, take action to the satisfaction of the Chancellor, the Chancellor may issue such directions as he may think fit and the Board of Management shall comply with such directions.
- (h) Without prejudice to the foregoing provisions of this section, the Chancellor may, by order in writing, annul any proceeding of the University which is not in conformity with this Act, the Statutes or the Ordinances:
- (i) Provided that before making any such order, the Chancellor shall call upon the University to show cause why such an order should not be made and shall consider the cause shown, if any, within the time-limit specified by him.

11. The Board of Management

- (i) The Board of Management shall be the principal executive body of the University and shall meet at least two times in an academic year.
- (ii) The constitution of the Board of Management, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.
- (iii) The Vice Chancellor of the University shall be the Chairperson of the Board of Management
- (iv) The Board of Management shall consist of the following persons, namely –
 - (a) Vice-Chancellor : Chairperson (ex-officio);
 - (b) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);
 - (c) Minimum four to maximum six eminent persons from the disciplines of sports, technology, science, humanities, social sciences and management to be nominated by the Government (on the recommendations of the Vice-Chancellor). Out of nominated eminent persons, one person will, compulsorily, be from the discipline of sports.
 - (d) Two eminent persons from the Industries or Organizations associated with sports to be nominated by the Government (on the recommendations of the Vice-Chancellor),
 - (e) A representative of University Grants Commission (UGC);
 - (f) A representative of Sports Academy of India, Govt. of India;
 - (g) Principal Secretary/Secretary (Training and Technical Education) of the Government (ex-officio);
 - (h) Principal Secretary or Secretary, Finance of the Government (ex-officio);
 - (i) Principal Secretary or Secretary, Higher Education of the Government (ex-officio);

- (v) Where a person has become a member of the Board by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment;
- (vi) The term of office of the nominated members of the Board, other than ex-officio members, shall be three years but they are eligible for re-nomination for maximum of total two tenures;
- (vii) A member of the Board shall cease to be a member, if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude; A member, who is employee of the University shall also cease to be member, if he accepts a full time appointment in another University or if he not being an ex-officio member, fails to attend three consecutive meetings of the Board without taking prior approval of the Vice-Chancellor;
- (viii) A member of the Board, other than an ex-officio member may resign from his office by a letter addressed to the Chairperson, Board of Management and such resignation shall take effect, as soon as, it has been accepted by him;
- (ix) Any vacancy in the Board shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy such nomination shall cease to be effective;

12. Powers, functions and meetings of the Board of Management-

- (i) The Board shall have the following powers and functions, namely:-
 - (a) to consider and pass resolutions on the annual report and the annual accounts of the University and the report of its auditors on such accounts;
 - (b) to exercise all financial powers and manage and regulate the finances, accounts, investment, properties, business and all other administrative affairs of the University and for the purpose, constitute committees and delegate the powers to such committees or such officers of the University as it may deem fit;
 - (c) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income in securities as it may, from time to time, think fit, on the advice of Finance Committee, except land acquired or buildings constructed with the assistance of the Government, in which cases, the prior approval of the Government shall be required;
 - (d) to enter into, vary, carryout and cancel contracts on behalf of the University and for that purpose to appoint such officers as it may think fit;
 - (e) to provide the buildings, premises, furniture, computers and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;
 - (f) to entertain, adjudicate upon, and if it thinks fit, to redress any grievances of the officers, the teachers, the students and the employees of the University;
 - (g) to create posts of all Groups on the recommendation of Senate and appoint persons to academic as well as other posts in the University;
 - (h) to select a common seal for the University;
 - (i) to lay down policy guidelines for admitting "Foreign students, Persons of Indian Origin (PIOs), the Non-Resident Indians (NRIs) and sponsored students" as supernumerary against higher fee prescribed by it from time to time;
 - (j) to exercise such other powers and to perform such other duties as may be considered necessary or imposed on it by or under this Act;
- (ii)
 - (a) The Board shall meet at least, two times in a year and not less than fifteen days notice shall be given for such meetings.
 - (b) The meetings of the Board shall be called by the Registrar under instructions of the Vice-Chancellor or at the request of not less than eight members of the Board.
 - (c) One half of the members of the Board shall form the quorum at any meeting.
 - (d) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;
 - (e) Each member of the Board shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Board, the Chairperson of the Board or, as the case may be, the member presiding over that meeting shall, in addition, have a casting vote.
 - (f) Every meeting of the Board shall be presided over by the Chairperson, Board of Management, who shall be the Vice-Chancellor of the University. In the absence of the Vice-Chancellor, a senior-most Pro-Vice-Chancellor shall preside over the meeting of Board of Management and if

Chairperson by the Board, such decision shall stand modified or rejected, as the case may be, retrospectively i.e., from the date of implementation of such decision of the Chairperson.

- (h) If urgent action by the Board becomes necessary, the Chairperson, Board of Management, may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Board, and the action so proposed to be taken shall not be taken unless agreed to by a majority of members of the Board and the action so taken shall be forthwith intimated to all the members of the Board and in case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

13. The Senate-

- (i) The Senate shall be the principal academic body of the University and shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and regulations of, and be responsible for, the maintenance of standards of instruction, education, research and examination within the University and shall exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed upon it by the Statutes.
- (ii) The Senate shall have the right to advise the Board on all academic matters.
- (iii) The Senate shall consist of the following persons, namely:-
- (a) Chairperson: Vice-Chancellor of the University (ex-officio);
 - (b) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);
 - (c) Four persons, who are not employees of the University to be co-opted by the Senate on the recommendations of the Vice-Chancellor from amongst sports eminence, educationists, scientists or engineers of repute;
 - (d) A nominee of the University Grants Commission;
 - (e) A nominee of the Sport Academy of India;
 - (f) A representative of Sports Industries, as nominated by the Vice-Chancellor;
 - (g) All Deans of the University;
 - (h) Four Heads of Departments as nominated by the Vice-Chancellor;
 - (i) Four Professors of the University as nominated by the Vice-Chancellor;
 - (j) One Associate Professor and one Assistant Professor as nominated by the Vice-Chancellor;
 - (k) Controller of Examinations;
 - (l) One person of eminence who is alumni, as nominated by the Vice-Chancellor;
 - (m) Two Student representatives as nominated by the Vice-Chancellor; and
 - (n) Registrar - Member- Secretary (ex-officio).
- (iv) The term of the members of the Senate, other than ex-officio members, shall be three years except the student representative, in which case the tenure will be for one year;

14. Powers, Functions and Meetings of the Senate-

- (i) subject to the provisions of this Act, Statutes, Ordinances and Regulations and overall supervision of the Board, the Senate shall manage the academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:-
- (a) to report on any matter referred or delegated to it by the Board;
 - (b) to make recommendations to the Board with regard to the creation, abolition or classification of

- (e) to consider proposals submitted by the teachers on the academic activities;
 - (f) to lay down policies for admissions to the University;
 - (g) to recognize diplomas and degrees of other Universities and Institutions and to determine their equivalence in relation to the diplomas and degrees of the Universities;
 - (h) to fix, subject to any conditions accepted by the Board, the time, mode and conditions of the competition for Fellowship, Scholarship and other prizes and to recommend for award of the same;
 - (i) to appoint examiners and moderators, and if necessary to remove them and to fix their fees, emoluments, traveling and other allowances and expenses;
 - (j) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them;
 - (k) to declare and review the result of the various examinations or to appoint committees or officers to do so, and to make recommendations regarding the conferment or grant of degrees, honors, diplomas, licenses, titles and marks of honor;
 - (k) to recommend stipends, scholarships, medals and prizes and to make other awards in accordance with the regulations and such other conditions as may be attached to the awards;
 - (m) to approve or revise the syllabus for the prescribed courses of study and lists of prescribed or recommended text books and to decide for publishing of books by the University;
 - (n) to approve such forms and registers as are from time to time, required by the ordinances and regulations;
 - (o) to formulate, from time to time, the desired standards of education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;
 - (p) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the Ordinances and Regulations made there under;
- (ii)
- (a) The Senate shall meet as often as may be necessary, but not less than three times, during an academic year;
 - (b) One half of the existing members of the Senate shall form the quorum for a meeting of the Senate;
 - (c) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;
 - (d) Each member of the Senate, including the Chairperson of the Senate, shall have one vote and if there be an equality of votes on any matter to be determined by the Senate, the Chairperson shall in addition, have a casting vote;
 - (e) Every meeting of the Senate shall be presided over by the Vice-Chancellor and in the absence of Vice-Chancellor, the Pro-Vice Chancellor as nominated by the Vice-Chancellor, will preside the meeting and in his absence, senior most Dean will preside over the meeting;

If urgent action by the Senate becomes necessary, the Chairperson of the Senate may permit the business to be transacted by circulation of papers to the members of the Senate and the action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Senate, and the action as taken shall forthwith be intimated to all the members of the Senate, and in case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

15. The Court –

- (i) The Court shall be the supreme authority of the University and shall consist of the following persons namely:-
 - (a) Chancellor, who shall be the chairperson;
 - (b) Minister of Education of the Government (ex-officio);
 - (c) Vice-Chancellor (ex-officio);
 - (d) Pro Vice-Chancellors (ex-officio);

- (i) Four eminent persons from the disciplines of sports, technology, science, humanities, social sciences and management to be nominated by the Government on the recommendations of the Vice-Chancellor. Out of nominated eminent persons, one person will, compulsorily, be from the discipline of sports.
 - (j) One representative of alumni of the University to be nominated by the Vice-Chancellor for a period of two years;
 - (k) Four Deans of the University as nominated by the Vice-Chancellor;
 - (l) Two Heads of Departments as nominated by the Vice-Chancellor;
 - (m) A member of non-teaching staff to be nominated by Vice-Chancellor by rotation for a tenure of one year;
 - (n) Registrar - Member-Secretary (ex-officio).
- (ii) The term of office of the nominated members of the Court, other than ex-officio members, shall be three years.
- (iii) Where a person has become a member of Court by reason of the office or appointment he holds, his membership shall terminate when he ceases to hold that office or appointment.
- (iv) A member of the Court shall cease to be a member if he resigns or becomes of unsound mind, or becomes insolvent or is convicted of a criminal offence involving moral turpitude.
- (v) A member shall also cease to be member if he accepts a full time appointment in another University, or if he not being an ex-officio member fails to attend three consecutive meetings of the Court.
- (vi) A member of the Court, other than an ex-officio member, may resign his office by a letter addressed to the Chancellor and such resignation shall take effect as soon as it has been accepted by him.
- (vii) Any vacancy in the Court shall be filled by nomination by the respective nominating authority and on expiry of the period of the vacancy such nomination shall cease to be effective.
- 16. Powers, functions and meetings of the Court-**
- (i) Subject to the provisions of this Act, the Court shall review, from time to time, the broad policies and programmes of the University and suggest measures for improvement and development of the University, the Court shall have the following other powers and functions namely:-
 - (a) to consider the broad policies or any proposed modification thereof by the Board of Management;
 - (b) to advise the Chancellor in respect of any matter which may be referred to it for advice; and
 - (c) to perform such other functions as may be prescribed.
 - (ii) The Court shall ordinarily meet at least once in every calendar year, and that meeting of the Court shall be called by the Registrar with the approval of the Chancellor;
 - (iii) For every meeting of the Court, normally fifteen days notice shall be given;
 - (iv) One half of the members existing on the rolls of the Court shall form the quorum;
 - (v) Each member shall have one vote and if there be equality of votes on any question to be determined by the Court, Chairperson of the Court shall, in addition, have a casting vote;
 - (vi) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail;
- 17. The Council of Sports and Academics**
- (i) The Council of Sports and Academics shall be the principal advisory body to the advice the Board of Management on the sports, academic, research and other professional domains of the University.
 - (ii) It shall, subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, have the control and

- (iv) The Council of sports and academics shall consist of the following persons, namely:-
- (a) The Vice-Chancellor who shall be the chairman;
 - (b) Five persons from amongst sports person, educationists of repute or men of letters or eminent public men, who are not in the service of the University, and nominated by the Government;
 - (c) A nominee of the University Grants Commission or its successors;
 - (d) Five professors nominated by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Chancellor;
 - (e) all Heads of the schools;
 - (f) two members of the teaching staff, one each respectively representing by the Vice-Chancellor, with the prior approval of the Chancellor;
 - (g) Such other member as may be prescribed by the Statutes.
- (v) The term of the members of the Academic Council, other than ex-officio members, shall be three years.

18. Powers, functions and meetings of the Council of Sports and Academics.

- (i). Subject to the provisions of this Act, Statutes and Regulations and overall supervision of the Board of Management, the Council of sports and academic shall manage the academic affairs and matters in the University and in particular shall have the following powers and functions, namely:-
- (a) to report on any matter referred or delegated to it by the Governing Body or the Board of Management;
 - (b) to make recommendations to the Board of Management with regard to the creation, abolition or classification of trainer and teaching posts in the University and the emoluments payable and the duties attached thereto;
 - (c) to formulate and modify or revise schemes for the organization of the faculties, and to assign to such faculties their respective subjects and also
to report to the Board of Management as to the expediency of the abolition or sub-division of any faculty or the combination of one faculty with another;
 - (d) to recommend arrangements for the instruction and examination of persons other than those enrolled in the University;
 - (e) to promote research within the University and to require from time to time, reports on such research;
 - (f) to consider proposals submitted by the faculties;
 - (g) to lay down policies for admissions to the University;
 - (h) to recommend recognized diplomas and degrees of other University and institutions and to determine their equivalence in relation to the certificates, diplomas and degrees of the University;
 - (i) to fix, subject to any conditions accepted by the Court, the time, mode and conditions of the competition for Fellowships, Scholarships and other prizes and to recommend for award of the same;
 - (j) to make recommendations to the Board of Management with regard to the appointment of examiners and, if necessary, their removal and fixations of their fees, emoluments and traveling and other expenses;
 - (k) to recommend arrangements for the conduct of examinations and the dates for holding them.

- (n) to approve the syllabus for the prescribed courses of study and to approve or revise lists of prescribed or recommended text books and to publish the same;
 - (o) to approve such forms and registers as are, from time to time, required by the regulations;
 - (p) to formulate, from time to time, the desired standards of sports education to be adhered in drawing up the curriculum and syllabi for being taught in the University;
 - (q) to perform, in relation to academic matters, all such duties and to do all such acts as may be necessary for the proper carrying out of the provisions of this Act and the regulations made there under.
- (ii)
- (a) The Council of Sports and Academic shall meet as often as may be necessary, but not less than two times, during an academic year.
 - (b) One half of the existing members of the Council of Sports and Academic shall form the quorum for a meeting of the Council of Sports and Academic.
 - (c) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority shall prevail.
 - (d) Each member of the Council of Sports and Academic, including the Chairman of the Council of Sports and Academic, shall have one vote and if there be an equality of votes on any question to be determined by the Council of Sports and Academic, the Chairman of the Council of Sports and Academic, or, as the case may be, the member presiding over that meeting, shall in addition, have a casting vote.
 - (e) Every meeting of the Council of Sports and Academic shall be presided over by the Vice-Chancellor and in his absence by a member chosen in the meeting to preside on the occasion.
 - (f) If urgent action by the Council of Sports and Academic becomes necessary, the Chairman of the Council of Sports and Academic may permit the business to be transacted by circulation of the papers to the members of the Council of Sports and Academic. The action proposed to be taken shall not be taken unless agreed to, by a majority of the members of the Council of Sports and Academic. The action so taken shall forthwith be intimated to all the members of the Council of Sports and Academic. In case the authority concerned fails to take a decision, the matter shall be referred to the Chancellor, whose decision shall be final.

19. The Planning Board

- (i) There shall be constituted a Planning Board of the University which shall be the principal advisory body to advise the Board of Management on the planning, growth and the development of the University and shall also be responsible for monitoring the planned development and the growth of the University in terms of the decisions of the Board of the Management on such issues.
- (ii) The constitution of the Planning Board, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.

20. The Finance Committee

- (i) There shall be constituted a Finance Committee of the University which shall be the principal advisory body to advise the Board of Management on the resource generation, financial prudence, expenditure control and accounting management of the University shall also be responsible for monitoring the implementing the decisions of the Board of Management on such issues.
- (ii) It shall be responsible for overall financial stability of the University and terms of its resource generation, expenditure control, accounting integrity.
- (iii) The constitution of the Finance Committee, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed.
- (iv) There shall be a Finance Committee consisting of the following:

- (e) Principal Secretary or Secretary (Higher Education) of the Government or his nominee;
 - (f) Pro-Vice Chancellors (ex-officio);
 - (g) Registrar (ex-officio);
 - (h) Two other members nominated by the Board from amongst its members of whom at least one should not be an employee of the University;
 - (i) Controller of Finance - Member-Secretary (ex-officio);
- (v) The term of the members of the Finance Committee other than the ex-officio members, shall be three years;
- (vi) The functions and duties of the Finance Committee shall be as follows:-
- (a) to examine and scrutinize the annual budget of the University and to make recommendations on financial matters to the Board of Management;
 - (b) to consider proposals for new expenditure and to make recommendations to the Board of Management;
 - (c) all proposals relating to revision of grades, up gradation of the pay-scales and those items which are not included in the budget, shall be examined by the Finance Committee before they are considered by the Board of Management;
 - (d) to consider the annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Controller of Finance and laid before the Finance Committee for approval and thereafter submitted to the Board of Management;
 - (e) the Finance Committee shall fix the limits for the total recurring and non-recurring expenditure for the year, based on income and resources of the University, and no expenditure shall be incurred by the University in excess of the limits so fixed, without the approval of the Finance Committee;
 - (f) to give its views and to make recommendations to the Board of Management on any financial question affecting the University either on its own initiative or on reference from the Board of Management;
 - (g) to recommend the investment of any money belonging to the University, including any unapplied income, in such securities as it may, from time to time, think fit, or in the purchase or immovable property in India, with the like power of varying such investments from time to time.
- (vii) The Finance Committee shall meet, at least, four times in a year; five members of the Finance Committee shall form the quorum at any meeting;
- (viii) In case of difference of opinion among the members, the opinion of the majority of the members present shall prevail;

21. The Building and Works Committee-

- (i) There shall be constituted a Building and Works Committee of the University to be the principal planning body of the University which shall also be responsible for construction, maintenance and monitoring the development of infrastructure of the University;
- (ii) The constitution of the Building and Works Committee, the term of office of its members and its powers and functions shall be such as may be prescribed;

22. Other Authorities: -

The constitution, powers and functions of the other authorities which may be declared by the Statutes to be the authorities of the University, shall be such as may be prescribed;

23. Disputes as to the Constitution of the University Authorities

25. Officers of the University

The following shall be the officers of the University:-

- (i) the Vice-Chancellor;
- (ii) the Pro Vice-Chancellor;
- (iii) the Deans;
- (iv) the Directors
- (v) the Registrar;
- (vi) the Controller of Finance;
- (vii) the Controller of Examination
- (viii) the Administrator of Sports Facilities
- (ix) the Librarian
- (x) the Proctor
- (xi) the Principal and
- (xii) Such other officers as may be declared by the Statutes to be the officers of the University.

26. The Vice- Chancellor

- (i) The Vice-Chancellor shall be a Sports scholar or a sports person of international eminence.
- (ii) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Chancellor in such manner, for such term and on such emoluments and other conditions of service as may be prescribed.
- (iii) The Vice-Chancellor shall be the principal executive officer of the University and shall exercise the supervision and control over the affairs of the University.
- (iv) Subject to the provisions of this Act, Statutes and Ordinances as may be applicable, the Vice Chancellor shall give effect to the decisions of all the authorities of the University.
- (v) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on any authority of the University by or under this Act and shall report the Board of Management by or under this act and shall report to Board of Management and action taken by him on such matter.

Provided that if the Board of Management is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice -Chancellor under this sub-section, shall, have the right to appeal against such action to the Board of Management within ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (vi) The Vice-Chancellor may, if he is of the opinion that immediate action is necessary on any matter, exercise any power conferred on the Board of Management by or under this Act and shall report to the Board of Management the action taken by him on such matter.

Provided that if the Board of Management is of the opinion that such action ought not to have been taken, it may refer the matter to the Chancellor whose decision thereon shall be final.

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice -Chancellor under this sub-section, shall, have the right to appeal against such action to the Board of Management within ninety days from the date on which such action is communicated to him and thereupon the Board of Management may confirm, modify or reverse the action taken by the Vice-Chancellor.

- (vii) The Vice-Chancellor shall exercise such other powers and perform such other functions as may be prescribed by the Statutes and the Ordinances.

Provided further that any person in the service of the University who is aggrieved by the action taken by the Vice -Chancellor under this sub-section, shall, have the right to appeal against such

28. **The Deans**
- Every Dean shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
29. **The Registrar**
- (i) The Registrar shall be appointed in such manner, on such emoluments and other conditions of service, and shall exercise such powers and perform such functions, as may be prescribed.
 - (ii) The Registrar shall be the custodian of the properties, the records and the common seal of the University and shall have the powers to authenticate records on behalf of the University.
 - (iii) The Registrar shall be the Member Secretary of all the multi member authorities of the University, and shall in his capacity as the Member Secretary notify the minutes of the meeting and the decisions of such authorities not later than three weeks from the date of the meeting.
 - (iv) Subject to the provisions of this Act, Statutes and Ordinances, the Registrar shall have the power to enter into and sign agreements on behalf of the University.
 - (v) The Registrar shall have the power to engage advocates, sign *vakaltnama*, give affidavit on behalf of the University in a legal or court proceeding.
30. **The Controller of Finance**
- The Controller of Finance shall be appointed in such manner, on such emoluments, and other conditions of service and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
31. **The Directors**
- Every Director shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
32. **The Controller of Examination**
- The Controller of Examination shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
33. **The Administrator of Sports Facilities**
- The Administrator of Sports Facilities shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
34. **The Proctor**
- (i) Proctor shall be the head of the Proctorial Board of the University vested with the responsibility to maintain discipline among the students.
 - (ii) The Proctorial Board shall be constituted in such manner as may be prescribed.
 - (iii) Proctor shall be appointed in such manner and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
35. **The Principal**
- The Principal of Delhi Sports School shall be appointed in such manner, and shall exercise such powers and perform such duties as may be prescribed.
36. **Other officers**
- The manner of appointment, emoluments, powers and duties of the other officers of the University shall be such as may be prescribed.
37. **Academics and Research**
- (i) Academics and Research in various disciplines of study related to Sports and allied disciplines shall be the core academic functional domain of the University.
 - (ii) Without prejudice to the power of the University Authorities to establish and wind up a University School of Studies, the University shall have the following University School of Studies to conduct its academic and research activities in various disciplines of study at graduate, undergraduate and research levels;

- (e) University School of Sports Architecture
- (f) University School of Physical Education and Teachers' Training
- (iii) University shall develop its undergraduate, post graduate and research degree courses and shall be introduced as a programme of study only after the approval of the Council for Sports and Academics.
- (iv) These courses shall be taught by the teachers or the professionals of the respective disciplines of study employed by the University.
- (v) Each of the University Schools of Studies shall be headed by a Dean who shall have the responsibilities to manage the day to day academic affairs of the school. The programmes of studies, the course content and the overall academic and research of a University School shall be administered by the Dean under the policy framework and supervision of the following school level bodies;
 - (a) Board of Studies:
 - i) It shall be the principal academic body within the University School of Study and shall supervise and plan the academic activities of the School.
 - ii) The composition of the Board of Studies shall be as prescribed.
 - (b) School Research Committee:
 - i) It shall be the principal research body within a University School of Study and be responsible for the research activities therein.
 - ii) The composition of the Board of Studies shall be as prescribed.

38. Skill Development, Sports Recreation, Community Outreach and Extension Services

- (i) The University will have a Centre for Community Outreach and Extension Services which shall undertake activities for the promotion of skill development, sports recreation, community outreach and extension services.
- (ii) Without prejudice to the power of the University Authorities to introduce one or other academic and professional courses on short term basis for promotion of sports in the community, the Centre may conduct following kinds of short term courses
 - (a) Short term courses on skill development in sports for amateurs and para sports personnel.
 - (b) Job oriented certificate and diploma courses in sports related vocations.
 - (c) Bridge Courses for educational empowerment of sports persons and sports personnel who may have been deprived of formal education system and wants to re-enter the formal education system and obtain one or other formal academic degree.
- (iii) The Centre shall engage in various other kinds of sports recreation and sports related community outreach and extension activities to enhance sporting skills, sports participation and sports appreciation among the common people.
- (iv) The Centre shall be headed by a Director designated as Director (Community Outreach and Extension Services).
- (v) The course content, the programme structure, methodologies, duration and the entry levels of the regular certificate and diploma courses may be developed by the sub Committee constituted by the Council of Sports and Academics of the University.
- (vi) The Vice Chancellor shall constitute a Centre Coordination Committee consisting of three professors of the University Schools of Studies and three professionals from the Centres for Professional Excellence in Sports who are generally associated with this Centre for a term of two years to overall supervise, frame policy guidelines and oversee the activities of the Centre from time to time.

- (ii) The Sports Specific Divisions administered and managed by the Centre for Professional Excellence in Sports shall be the institutional framework for grooming the talent and honing the sporting skills of the prospective sports persons.
- (iii) Without prejudice to the power of the University Authorities to establish and wind up any specific sports division, the Centre shall have the following sports divisions
- (a) Athletics Division
 - (b) Field Sports Division
 - (c) Aquatic Games Division
 - (d) Indoor Games Division
 - (e) Indigenous Sports Division
 - (f) Adventure Sports Division
- (iv) It shall be imperative for all the Sports Division of the Centre for Professional Excellence in Sports to maintain quality driven training facilities and infrastructure in its area of Sports for imparting world class training to the aspirant sports persons.
- (v) Each division under the Centre shall maintain a pool of resource persons drawn from established sports persons at the national and international level for imparting specialised coaching to the admitted trainees. The resource persons willing to have long term association with the Centre for Professional Excellence in Sports may be formally associated with the University as adjunct Professors. Besides the pool of resource persons drawn from the set of established sports persons of the country, the University shall create its own pool of trained professionals for imparting training and coaching to the admitted trainees in various Divisions of the Centre for Professional Excellence in Sports.
- (vi) The primary aim of the Sports Divisions of the Centre for Professional Excellence in Sports shall be the identification of sporting talents at early age and grooming their talent, honing their skills and mentoring them to pick up a successful career as sports persons.
- (vii) As the basic objective of the Centre is Professional Excellence in Sports, appropriate systems shall be developed to ensure the full commitment of the trainees to the sports coaching and also alongside ensure their educational empowerment in a manner that sports excellence remains their focus. To this end provision shall be made for liberalised academics to ensure that a standard degree of academic proficiency is obtained by the trainees without compromising on the imperatives of the professional proficiencies in sports.
- (viii) Each Sports Division shall make appropriate provision for 'multiple entry system' and 'special induction program' for persons exhibiting or possessing sporting talents for their admission in the Divisions.
- (ix) A sports trainee on the successful completion of the training /coaching programme at one or other Division may be awarded the generic degree of BA(Sports)/B.Sc.(Sports) subject to the fulfillment of the objective and measurable performance index laid down by the University.
- (x) The trainees who join these Divisions at early age because of their exhibited natural talents in sports shall be allowed to take advantage of the bridge courses/ programmes of the University to continue the formal education.
- (xi) The Divisions of the Centre shall develop mechanisms and processes for facilitating the participation of their trainees in one or other national and international sporting events from time to time.
- (xii) The Divisions of the Centre would also design programs and modules for producing qualified trainers, experts, coaches for the specific sports /games coming under their domain.
- (xiii) The Centre for Professional Excellence in Sports shall be headed by a Director who shall be responsible for overall conduct of the affairs of the Centre for Professional Development and Excellence in Sports and various sports divisions established under it.

- (xv) The overall policy making body of the Centre for Professional Excellence in Sports will be the Council for Professional Sports Excellence (equivalent to the Board of Studies of the University Schools of Studies). The Council shall be composed of the Professional Heads of the Sports Division, eminent sports personalities (one each from the area of expertise of each sports division). The Council shall be chaired by the Director of the Centre for Professional Excellence in Sports who shall also be a member of the Council.

40. Early Sports-Talent Scouting and Grooming

- (i) The University shall establish, administer and manage a boarding school for scouting and grooming sporting talent from early ages.
- (ii) The School shall identify and admit students with sporting talents at sixth standard onwards and train them for a successful professional career in sports.
- (iii) The school shall serve as the specialized feeder institution for the University and the students passing out from the School shall be encouraged to continue with the Delhi Sports University.
- (iv) The course structure, course curricula and content of the School shall be in the nature of liberal academics and rigorous sports training. The academic content of the course curriculum may be based on the institutions administering liberalized schooling system like the National Open Schooling System (NIOS) or Delhi Patrachar Vidhyalaya and the corresponding content of the Sports Training module shall be developed by the School and approved by the Sports and Academic Council of the University.
- (v) The school may be affiliated to the Central Board of Secondary Education or a board of Physical Education established by the Govt. Of National Capital Territory of Delhi if it is not possible to get such affiliation from CBSE because of its stated objectives of the liberalized academics and rigorous sports training module.
- (vi) The day to day functioning, administration and management of the school shall be under the control of the Principal of the School. The position of the Principal of the School shall be equivalent to the position of the Director, Community Outreach and Extension Services.
- (vii) The overall supervision and the administration of the school shall vest in the Vice Chancellor of the University. However, with a view to promote it as a professionally managed institution for sports, the school shall have an autonomous character.
- (viii) The school shall endeavor to develop its own academic and sports infrastructure and facilities in tune with the requirements of the school children. The school will have University appointed teachers and sports professionals for imparting day to day teaching and the sports training to its students.

41. Statutes:-

Subject to the provisions of this Act, the Statutes may provide for all or any of the following matters, namely:-

- (i) the constitution, powers and functions of the authorities and other bodies of the University, as may be found necessary to be constituted from time to time;
- (ii) the election and continuance in office of the members of the authorities and bodies of the University, the filling up of vacancies of members and all other matters relating thereto which the University may deem necessary or desirable to provide;
- (iii) the manner of appointment of the officers of the University, terms and conditions of their service, their powers and duties and emoluments;
- (iv) the manner of appointment of the teachers, sports professionals and the sports trainers of the University, other academic staff, and other employees and their emoluments;
- (v) the manner of appointment of teachers and other academic staff working in any other university for a specified period for undertaking a joint project, their terms and conditions of service and emoluments;

- (x) the principles governing the seniority of employees of the University;
- (xi) the procedure for any appeal by an employee or a student of the University;
- (xii) conferment of honorary degrees;
- (xiii) institution of fellowships, scholarships, studentships, medals and prizes and other incentives ;
- (xiv) maintenance of discipline among the employees of the University;
- (xv) establishment of chairs, university schools of studies, Centres and Sports Divisions;
- (xvi) the delegation of powers vested in the authorities or the officers of the University; and;
- (xvii) all other matters which, by or under this Act, are to be, or may be, provided for by the Statutes.

42. Making of the Statutes

- (i) The first Statutes shall be those made by the Government with the prior approval of the Chancellor within thirty days of the notification of this Act.
- (ii) The Board of Management may, from time to time, make new or additional Statutes or may amend or repeal the Statutes referred to in sub-section(1):

Provided that the Board of Management shall not make, amend or repeal any Statutes affecting the status, powers or constitution of any authority of the University until such authority has been given a reasonable opportunity of expressing its opinion in writing on the proposed change and any opinion so expressed within the time specified by the Board of Management has been considered by the Board of Management.

- (iii) Every new Statute or addition to the Statutes or any amendment or repeal thereof shall require the approval of the Chancellor, who may assent thereto or withhold his assent or remit it to the Board of Management for reconsideration in the light of the observations, if any, made by him.
- (iv) A new Statute or a Statute amending or repealing an existing Statute shall not be valid unless it has received the assent of the Chancellor:
- (v) Notwithstanding anything contained in the foregoing sub-sections, the Chancellor may make new or additional Statutes or amend or repeal the Statutes referred to in sub-section (1), during the period of three years immediately after the commencement of this Act.

43. Publication of the Statutes in the Official Gazette of the Government:-

- (i) Every Statute made under this Act shall be published in the official Gazette of the Government.
- (ii) Every Statutes made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the House of the Legislative Assembly of Delhi while it is in session for a total period of thirty days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session immediately following the session or the successive sessions aforesaid, the House agrees in making any modification in the Statute or the House agrees that the Statute should not be made, the Statute shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be; however, any such modification or annulment, as the case may be, shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that Statute.
- (iii) Any modification in or annulment so made to the Statutes shall be notified in the official gazette of the Government.

44. Ordinances

- (i) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, the Ordinances may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the admission of students, the courses of study and the fees therefore, the qualifications pertaining to the award of degrees, diplomas, certificates and other academic and professional distinctions, the conditions for the grant of fellowships and awards and the like:

- (e) maintenance of discipline among the students of the University;
 - (f) Regulation of the conduct and duties of the employees of the University, and regulation of the conduct of the students of the University;
 - (g) the categories of misconduct for which action may be taken under this Act or the Statutes or the Ordinances; and
 - (h) any other matter which, by or under this Act or the Statutes, is to be, or may be, provided for by the Ordinances.
- (ii) The first Ordinances shall be made by the Vice-Chancellor with the prior approval of the Government and the Ordinances so made may be amended, repealed or added to at any time by the Board of Management in such manner as may be prescribed.
 - (iii) Subject to the provisions of this Act or the Statutes made hereunder, any new Ordinance or an amendment to an existing Ordinance shall be made by the Board of Management.

45. Notification of the Ordinances

- (i) Every Ordinance approved for making or amendment shall be sent to the Chancellor within three weeks from the date of its approval by the Board of Management.
- (ii) The Chancellor may alter, annul or make such changes to the proposed Ordinances or proposed amendment to an existing Ordinance as it deems fit.
- (iii) The Ordinance as approved by the Board of Management or as amended, altered or changed by the Chancellor, as the case may be, shall be notified by the Registrar under his hand and seal. The new or amended Ordinances shall come into effect on and from the date of its approval.
- (iv) The notified Ordinances shall be laid before the Board of Management in its forthcoming meeting in the form of the Action Taken Report.

46. Regulations

- (i) The authorities, the academic and the administrative departments of the University may make Regulations consistent with this Act, the Statutes and the Ordinances, in the manner prescribed by the Statutes for the conduct of their own business and that of the committees, if any, appointed by them and not provided for by this Act, the Statutes or the Ordinances.
- (ii) All the Regulations made by the academic and the administrative departments shall be placed before the Vice Chancellor for its approval. The Vice Chancellor may approve it with such changes as it deems fit or approve it without any changes.
- (iii) The Regulations as made by the authorities of the University or as approved by the Vice Chancellor shall be notified by the Registrar within three weeks from the date of its making or approval as the case may be.
- (iv) Every Regulation shall come into effect on and after the notification by the Registrar.

47. Annual Report

- (i) The annual report of the University shall be prepared under the directions of the Board of Management which shall include, among other matters, the steps taken by the University towards the fulfillment of its objects.
- (ii) The annual report so prepared shall be submitted to the Chancellor by such date as may be prescribed.
- (iii) A copy of the annual report, as prepared under sub-section(1), shall also be submitted to the Government which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

48. Annual Accounts

- (iii) Any observation made by the Chancellor on the annual accounts shall be brought to the notice of the Board of Management, and comments of the Board of Management shall be resubmitted to the Chancellor.
- (iv) A copy of the accounts together with the audit report, as submitted to the Chancellor, shall also be submitted to the Government, which shall, as soon as may be, cause the same to be laid before the Legislative Assembly of Delhi.

49. Withdrawal of degree or diploma

- (i) The Board may either on its own motion or on the recommendation of the Senate, withdraw any distinction, degree, diploma or privilege conferred on, or granted to, any person, by a resolution passed by the majority of the total membership of the Board present and voting at the meeting, if such person has been convicted by a court of law for an offence, which, in the opinion of the Board, involves moral turpitude or if he has been guilty of gross misconduct.
- (ii) No action under sub-section (1) shall be taken against any person unless he has been given an opportunity to show cause against the action proposed to be taken.
- (iii) A copy of the resolution passed by the Board of Management shall be immediately sent to the person concerned.
- (iv) Any person aggrieved by the decision taken by the Board of Management may appeal to the Chancellor within thirty days from the date of receipt of such resolution.
- (v) The decision of the Chancellor in such appeal shall be final.

50. Conditions of Service of Employees

- (i) The University shall enter into a written contract of service with every employee of the University appointed on regular basis or otherwise and the terms and conditions of the contract shall not be inconsistent with the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances/Regulation.
- (ii) A copy of the contract referred to in sub-section (i) shall be lodged with the University and a copy thereof shall also be furnished to the employee concerned.

51. Tribunal Arbitration

- (i) Any dispute arising out of a contract of employment referred to in Section 50 between the University and the employee shall be referred to a Tribunal of Arbitration which shall consist of one member nominated by the Board of Management, one member nominated by the employee concerned and an umpire to be nominated by the Chancellor.
- (ii) Every such reference shall be deemed to be a submission to arbitration on the terms of this section within the meaning of the Law of Arbitration as in force, and all the provisions of that Law to the extent such provisions may be applicable, shall apply accordingly.
- (iii) The procedure for regulating the work of the Tribunal of Arbitration shall be such as may be prescribed.
- (iv) The decision of the Tribunal of Arbitration shall be final and binding on the parties, and no suit shall lie in any court in respect of any matter decided by the Tribunal.

52. Provident and Pension Funds

The University shall constitute for the benefit of its employees such provident fund or pension fund or provide such insurance schemes as it may deem fit in such manner and subject to such conditions as may be prescribed.

53. Filling of Casual Vacancies

All the casual vacancies among the member (other than ex-officio members) of any authority or other body of the University shall be filled, as soon as may be convenient, by the person or body who appoints, elects or co-opts the members whose place has become vacant and any person appointed, elected or co-opted to a casual vacancy shall be a member of such authority or body for the residue of the term for which the person

55. **Mode of Proof of University Record**

A copy of any receipt, application, notice, order, proceedings, resolution of any authority or committee of the University, or other documents in the possession of the University, or any entry in any register duly maintained by the University, if certified by the Registrar so designated shall, notwithstanding anything contained in the Indian Evidence Act, 1872 or in any other law for the time being in force, shall be admitted as evidence of the matters and transactions specified therein, where the original thereof would, if produced, have been admissible in evidence.

56. **Power to Remove Difficulties**

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the Government may, by order, published in the official Gazette, make such provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty:

Provided that no order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.


57. **Transitional Provisions**

Notwithstanding anything contained in this Act and the Statutes,

- (i) The first Vice-Chancellor and the first Registrar shall be appointed by the Chancellor and they shall be governed by the terms and conditions of service specified by the Statutes ;
- (ii) The Registrar and the Controller of Finance in Delhi Sports University shall be appointed by the Government.
- (iii) The first Board of Management shall consist of not more than fifteen members and not less than nine members respectively who shall be nominated by the Chancellor and shall hold office for a term of three years.
- (iv) Till such time statutes, ordinance and regulations are made by the designated authority, the statutes, ordinances and regulations of Guru Gobind Singh Indraprastha University, Delhi, to the extent they are relevant and have been adopted by the Board of Management by a notification, shall be applicable for Delhi Sports University.

Salient Features of Delhi Sports University Bill, 2019

The Delhi Sports University shall be established by an Act of the State Assembly of the National Capital Territory of Delhi. The Chancellor of University will be the Lt. Governor of Delhi and the President of India shall be the Visitor of the University. The Vice-Chancellor, who should be a scholar or a sports person of International eminence with administrative experience in a national level institution of sports is to be appointed for a period of five years and he/she would be selected by a Committee of three members. Composition, powers and manner of functioning of the authorities of the University, namely, the Court, the Senate, the Board of Management, Council of sports and Academics and Finance Committee are included in the draft legislation. Provisions for framing of statutes and regulations, a provision for submission of Annual Report of the University to the Government and placing of the same before the Legislative Assembly has also been provided. All staff and faculty members of the University would be engaged on Contract basis, on the pattern of the University of Guru Govind Singh Inderprastha University, and the manner of their permanent engagement could be laid down in the University's statutes subsequently.


(Sanjay Kumar Aggarwal)
Pr. Secretary (Law, Justice & L.A.)

(दिल्ली राजपत्र असाधारण के भाग - IV में प्रकाशनार्थ)
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
(विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग)
आठवें तल, सी-विंग, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली

सं० फा० 14(64)/एलए-2019/ cons2law/-/0

दिनांक 6 जनवरी, 2020

अधिसूचना

सं० फा० 14(64)/एलए-2019/ cons2law/-/0

— राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 31 दिसंबर, 2019 को प्राप्त कर ली है और इसको जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :-

“दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019
(2020 का दिल्ली अधिनियम 01)

(02 दिसंबर, 2019 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[31 दिसंबर, 2019]

दिल्ली में एक खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना करने और खेलकूद संबंधी अध्ययन, अनुसंधान की सुविधा देने और उसे बढ़ावा देने तथा उदार खेलकूद गतिविधियों पर और विज्ञान पर ध्यान केंद्रित करते हुए खेलकूद की शिक्षा के उभरते क्षेत्रों के विस्तार के कार्यों को शामिल करने, उदाहरण के लिए विश्वस्तरीय खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों पेशेवर खिलाड़ियों को बढ़ावा देने तथा शारीरिक शिक्षा एवं खेल भावना के माध्यम से जनमानस में स्वास्थ्य संबंधी देखभाल को बढ़ावा देने और साथ ही इन तथा इनसे संबंधित क्षेत्रों तथा उनसे जुड़े अन्य मामलों अथवा तत्संबंधी गतिविधियों में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

1. संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार एवं प्रारंभ:

(i) इस अधिनियम को दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।

(ii) यह उस तारीख से प्रभाव में आएगा जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करते हुए, नियत किया जाएगा।

2. परिभाषाएं: — इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,

(i) “शैक्षिक स्टाफ” से अभिप्राय उन श्रेणियों के स्टाफ से है, जो विश्वविद्यालय के शैक्षिक स्टाफ के लिए विश्वविद्यालय के संविधिद्वारा नामित किए जाते हैं;

(ii) “बोर्ड” से अभिप्राय विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड से है;

(iii) “खेलकूद अध्ययन बोर्ड” से अभिप्राय खेलकूद अध्ययन बोर्ड से है, जिसका गठन विश्वविद्यालय के संविधिके तहत किया जा सकता है;

(iv) “कैम्पस” से अभिप्राय एक अथवा बहु-इकाइयों से है, जो अनुदेश देने, प्रशिक्षण अथवा अनुसंधान का आयोजन करने, अथवा ये सभी कार्य करने के लिए विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अथवा गठित की जाती हैं;

(v) “सेंटर फॉर कम्प्यूनिटी आउटरीच और एक्सटेंशन सर्विसेस” से अभिप्राय विश्वविद्यालय की सेंटर फॉर कम्प्यूनिटी आउटरीच और एक्सटेंशन सर्विसेस से है;

(vi) “खेलकूद में पेशेवर उत्कृष्टता के लिए केंद्र” से अभिप्राय विश्वविद्यालय में खेलकूद में पेशेवर उत्कृष्टता के लिए केंद्र से है;

(vii) “कुलाधिपति” “कुलपति” तथा “सम-कुलपति” से अभिप्राय क्रमशः विश्वविद्यालय का कुलाधिपति, कुलपति तथा समकुलपति से है;

(viii) “परीक्षा नियंत्रक” से अभिप्राय विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से है;

(ix) “वित्त नियंत्रक” से अभिप्राय विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक से है;

(x) “कोर्ट” से अभिप्राय विश्वविद्यालय के कोर्ट से है;

(xi) “खेलकूद एवं शिक्षा परिषद” से अभिप्राय विश्वविद्यालय की खेलकूद एवं शिक्षा परिषद से है;

(xii) “डीन” से अभिप्राय विश्वविद्यालय के डीन से है;

(xiii) “दिल्ली” से अभिप्राय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से है;

(xiv) “दिल्ली खेलकूद विद्यालय” से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित, नियंत्रित और प्रशासित दिल्ली खेलकूद विद्यालय से है;

(xv) “विभाग” से अभिप्राय फैकल्टी के भीतर खेलकूद शैक्षिक विभाग से है;

(xvi) “कर्मचारी” से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति से है;

- (xx) "कदाचार" से अभिप्राय संविधि और अध्यादेश के द्वारा निर्धारित किसी कदाचार से है;
- (xxi) "अधिसूचना" से अभिप्राय सरकारी राजपत्र में प्रकाशित एक अधिसूचना से है;
- (xxii) "निर्धारित" से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए निर्धारित संविधिसे है;
- (xxiii) "प्रधानाचार्य" से अभिप्राय दिल्ली खेलकूद विद्यालय के प्रधानाचार्य और इनमें से विद्यालय शामिल हैं, जहां कोई प्रधानाचार्य नहीं हो, और किसी व्यक्ति को कुछ समय के लिए प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया हो, और प्रधानाचार्य अथवा कार्यकारी प्रधानाचार्य, जैसा भी मामला हो, की अनुपस्थिति में नियुक्त एक उप-प्रधानाचार्य से है;
- (xxiv) "रजिस्ट्रार" से अभिप्राय विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार से है;
- (xxv) "विद्यालय" से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और प्रशासित दिल्ली खेलकूद विद्यालय से है;
- (xxvi) "सीनेट" से अभिप्राय विश्वविद्यालय की सीनेट से है;
- (xxvii) "स्टाफ" से अभिप्राय विश्वविद्यालय के समस्त शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ से है;
- (xxviii) "नियम", "अध्यादेश" और "विनियम" से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए और लागू प्रभावी क्रमशः नियमों, अध्यादेशों और विनियमों से है;
- (xxix) "विश्वविद्यालय" से अभिप्राय इस अधिनियम के अंतर्गत शामिल दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय से है;
- (xxx) "विश्वविद्यालय अध्ययन विद्यालय" से अभिप्राय विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यालय से है;
- (xxxi) "विश्वविद्यालय अध्यापकों" से अभिप्राय उन व्यक्तियों से है, जो विश्वविद्यालय में किसी शैक्षिक अथवा खेलकूद अथवा प्रशिक्षण का आयोजन करने अथवा कोचिंग देने अथवा खेलकूद के अन्य क्षेत्रों में अनुदेश देने, अनुसंधान कार्य करने के लिए नियुक्त किए जा सकते हैं।

3. विश्वविद्यालय का समावेशन:-

- (i) उक्त तारीख से, जो सरकार द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी करके, नियत की जा सकती है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में "दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय" नामक एक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।
- (ii) दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय एक निकाय के रूप में काम करेगा जिसके स्थायी उत्तराधिकारी होंगे और प्राप्त शक्तियों के साथ जिसकी एक कॉमन सील होगी, जिसे इस अधिनियम के प्रायधानों की शर्त पर, सम्पत्ति और संविदा के अधिग्रहण, धारण तथा निपटान करने और उक्त नाम से मुकदमा चलाने अथवा मुकदमे का सामना करने के लिए उपयोग किया जा सकेगा।
यशर्त अधिग्रहीत भूमि और सरकार की सहायता से भवन निर्माण के मामलों का सरकार की पूर्व अनुमति के बिना निपटान नहीं किया जा सकेगा।
- (iii) कुलाधिपति, प्रथम कुलपति, प्रबंधन बोर्ड के प्रथम सदस्य, शैक्षिक और खेलकूद परिषद के प्रथम सदस्य और विश्वविद्यालय के प्रथम रजिस्ट्रार, जब तक अपने पद पर कार्य करेंगे अथवा उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी और उक्त पदों पर अथवा सदस्यों के रूप में उनके बाद आने वाले सभी व्यक्ति एक निकाय का निर्माण करेंगे जिसका नाम 'दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय' होगा।

4. विश्वविद्यालय सभी के लिए खुला होगा:-

- (i) विश्वविद्यालय में नामांकन, भर्ती और ऐसी अन्य सुविधाएं और लाभ उन समस्त व्यक्तियों के लिए खुले रूप में होंगे, जो पात्र होंगे भले ही वे किसी लिंग के हों, उनके दंश, धर्म, क्षेत्र, नस्ल, जाति, वर्ग के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाएगा।
- (ii) इस खंड में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे विश्वविद्यालय को महिलाओं अथवा समाज के कमजोर वर्गों के लाभ के लिए किसी सकारात्मक कार्यवाई के किसी विशेष प्रावधान से रोका जाता हो।

5. विश्वविद्यालय के लक्ष्य:-

- (i) दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय होगा जो खेलकूद को बढ़ावा देने, खेलकूद के विभिन्न पहलुओं में शिक्षा और अनुसंधान तथा संबद्ध क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य एवं विज्ञान संबंधी अध्ययनों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। यह खेलकूद में जानकारी, शैक्षिक, अनुसंधान और पेशेवर गतिविधियों, खेलकूद संबंधी क्षेत्रों, स्वास्थ्य एवं विज्ञान संबंधी अध्ययनों को बढ़ावा देगा।
- (ii) जैसा विश्वविद्यालय के सामान्य लक्ष्यों को उपखंड (i) में दर्शाया गया है, किसी पूर्वाग्रह के बिना विश्वविद्यालय के निम्नलिखित लक्ष्य होंगे, अर्थात्;
- (क) एक संस्थागत रूपरेखा तैयार करना अर्थात् राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पूरे देश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक इको-सिस्टम विकसित करना;
- (ख) अनुसंधान को बढ़ावा देना, जानकारी का विकास और प्रसार, खेलकूद में पेशेवर गतिविधियों के साथ शिक्षा देना;
- (ग) खेलकूद और संबद्ध व्यवस्था के हर क्षेत्र में अनुशासन लाना ताकि खेलकूद से संबंधित पेशेवर व्यक्तियों के रोजगार की संभावनाओं को बढ़ाया जा सके;
- (घ) विभिन्न सामुदायिक संस्थाओं की सहायता और विस्तार कार्यक्रम के माध्यम से खेलकूद को प्रचलित करना ताकि खेलकूद और संबद्ध क्षेत्रों जैसे शारीरिक शिक्षा और व्यायाम विज्ञान के माध्यम से आम जनता के सामान्य स्वास्थ्य को बढ़ावा दिया जा सके;
- (ङ) गुणवत्तापरक खेलकूद शिक्षा को बढ़ावा देना, उत्कृष्टता प्राप्ति के केंद्र विकसित करना और खेलकूद को एक

- (ट) अभ्यास की ऐसी शाखाओं को अनुदेश देना, जिसके लिए विश्वविद्यालय, समय-समय पर, अनुसंधान और जानकारी तथा कौशल के विकास और प्रसार के लिए प्रावधानों का निर्धारण कर सकता है;
- (ठ) खेलकूद के ऐसे क्षेत्रों में प्रशिक्षण और कोचिंग की व्यवस्था करना, जिसके लिए विश्वविद्यालय, समय-समय पर, पेशेवर उत्कृष्टता और कौशल प्राप्ति के लिए सुविधाएं उपलब्ध करा सकता है।
6. विश्वविद्यालय की शक्तियां और गतिविधियां:- विश्वविद्यालय को निम्नलिखित शक्तियां और गतिविधियों की शक्ति प्राप्त होगी, अर्थात्:-
- (i) विश्वविद्यालय ऐसी समस्त शक्तियां प्राप्त होंगी और ऐसी गतिविधियां करने की शक्ति प्राप्त होगी जो इसकी लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपेक्षित हों और खेलकूद तथा खेलकूद, शिक्षा तथा अनुसंधान के विभिन्न पहलुओं के पूर्ण विकास के साथ ही खेलकूद में पेशेवर उत्कृष्टता को बढ़ावा देने, खेलकूद के विभिन्न क्षेत्रों तथा इसके संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उच्च शिक्षा के एक समर्पित संस्थान की गतिविधि का हिस्सा हों।
- (ii) बिना किसी पूर्वाग्रह के जैसा विश्वविद्यालय के सामान्य लक्ष्यों को उपखंड (i) में दर्शाया गया है, विश्वविद्यालय की शक्तियां और गतिविधियां इस प्रकार होंगी, अर्थात्:
- (क) अध्यापन, अध्ययन, अनुसंधान, प्रशिक्षण, व्यावसायिक विकास और उत्कृष्टता अथवा खेलकूद, खेलकूद संबंधी क्षेत्रों अथवा संबद्ध क्षेत्रों में सामुदायिक संस्थाओं द्वारा सेवा कार्यों और एक्सटेंशन सर्विसेस के लिए कार्य प्रणालियां और प्रक्रियाएं तैयार करना।
- (ख) जैसा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित हों, उन शर्तों पर डिप्लोमा और प्रमाणपत्र प्रदान करना और परीक्षाओं, मूल्यांकन अथवा परीक्षा के अन्य तरीकों के आधार पर व्यक्तियों को डिग्रियां तथा अन्य शैक्षिक सम्मान देना;
- (ग) संविधि द्वारा निर्धारित तरीके से मानद डिग्रियां अथवा अन्य सम्मान प्रदान करना;
- (घ) विभिन्न व्यक्तियों से लाभ, दान और उपहार प्राप्त करना तथा उक्त व्यक्तियों ने नाम से ऐसे संस्थानों, भवनों के नाम रखना, जैसा विश्वविद्यालय द्वारा उनके उपहारों अथवा दान की मात्रा के अनुसार नाम तय किया जाता हो;
- (ङ) विश्वविद्यालय में शैक्षिक, खेलकूद-प्रोफेशनल, प्रशासनिक, अनुसंधानीय तथा अन्य पद सृजित करना और उन पर विश्वविद्यालय के संविधि के अनुरूप नियुक्ति करना;
- (च) निम्नलिखित सेवाओं के लिए निबंधन एवं शर्तों की व्यवस्था करना-
- (i) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापक, अनुसंधानकर्ता और खेलकूद-प्रोफेशनल्स;
- (ii) प्रबंधन बोर्ड (BOM) की पूर्व अनुमति से विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अन्य कर्मचारी;
- (छ) किसी अन्य विश्वविद्यालय अथवा संगठन में विश्वविद्यालय के अध्यापकों, प्रशिक्षकों अथवा खेलकूद प्रोफेशनल्स को नियुक्त करना;
- (ज) किसी प्राधिकरण अथवा खेलकूद से संबंधित संगठन अथवा उच्च शिक्षा संस्थान का इस तरीके से तथा इस उद्देश्य से किसी अन्य विश्वविद्यालय से सहयोग अथवा समन्वय करना अथवा संबद्ध होना, जैसा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित किया जाता हो;
- (झ) विश्वविद्यालय से सहयोग अथवा समन्वय करना अथवा संबद्ध किसी संस्थान के किसी व्यक्ति के कार्य का अनुमोदन करना ताकि उसे रिसर्च कार्यों के अनुदेश देने अथवा पर्यवेक्षण करने, खेलकूद प्रशिक्षण देने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए नियुक्त किया जाता हो, जो डोमेन विश्वविद्यालय के अंतर्गत आती हों और ऐसा कोई अनुमोदन वापस लेना;
- (ञ) किसी उच्च शिक्षा संस्थान अथवा विशिष्ट खेलकूद प्रशिक्षण संस्थान को अनुमोदित करना और ऐसा कोई अनुमोदन वापस लेना;
- (ट) किसी अनुमोदित संस्थान में कार्यरत व्यक्तियों का अनुमोदन करना, जो अनुसंधान कार्यों के अनुदेश देने अथवा पर्यवेक्षण करने, खेलकूद प्रशिक्षण देने अथवा अन्य गतिविधियों के लिए नियुक्त किए जाते हों, और प्रबंधन बोर्ड (BOM) की पूर्व अनुमति से ऐसा कोई अनुमोदन वापस लेना;
- (ठ) शिक्षाविदों का एक निकाय तैयार करना, जो शैक्षिक गतिविधियां चला सके और निर्धारित तरीके से उन्हें पारिश्रमिक दिया जा सके;
- (ड) खेलकूद प्रशिक्षकों का एक निकाय तैयार करना, जो खेलकूद प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण दे सके और निर्धारित तरीके से उन्हें पारिश्रमिक दिया जा सके;
- (ढ) खेलकूद, शैक्षिक, अनुसंधान, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग इत्यादि के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- (ण) विभिन्न प्रकार के खेलकूद और स्वास्थ्य संबंधी व्यायाम विज्ञान में नियमित और विशिष्ट प्रशिक्षण के लिए सुविधाओं की व्यवस्था करना;
- (त) शैक्षिक विषयों और विभिन्न खेलकूद और खेलों के लिए खेलकूद प्रशिक्षण मॉड्यूल्स के लिए पाठ्यक्रम विकास केंद्र स्थापित करना;
- (थ) खेलकूद प्रशिक्षण केंद्रों और सुविधाओं की स्थापना और रखरखाव करना तथा जैसा विश्वविद्यालय द्वारा उपयुक्त समझा जाता हो, ऐसे शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार केंद्रों की स्थापना करना;
- (द) अनुसंधान, परामर्शी और प्रशिक्षण सेवाओं के लिए प्रावधान करना और, इस उद्देश्य से, अन्य संगठनों अथवा निकायों के साथ मिलकर ऐसी व्यवस्थाएं करना जैसा विश्वविद्यालय द्वारा आवश्यक समझा जाता हो;
- (ध) विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए शैक्षिक और खेलकूद आधारित व्यावसायिक मानक निर्धारित करना, जिनमें परीक्षा, मूल्यांकन अथवा चयन का कोई अन्य तरीका शामिल हो सकता है;
- (न) स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप, मैडल और पुरस्कार गठित करना तथा वितरित करना;
- (न) शुल्क के भुगतान और अन्य प्रभारों की मांग करना तथा प्राप्त करना;
- (प) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आवासों का पर्यवेक्षण करना और उनके स्वास्थ्य तथा सामान्य हितों को बढ़ावा देने के लिए व्यवस्था करना;
- (फ) महिला विद्यार्थियों के लिए, जैसा विश्वविद्यालय यांचनीय समझता हो, ऐसी विशेष व्यवस्थाएं करना;
- (ब) विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आचरण को नियंत्रित करना।

- (र) सरकार के अनुमोदन से, विश्वविद्यालय की सम्पत्ति की जमानत पर विश्वविद्यालय के लिए धनराशि उधार लेना;
- (ल) विषयों, विशेषज्ञता के क्षेत्रों, अल्प और दीर्घावधि आधार पर तकनीकी जनशक्ति के शिक्षा और प्रशिक्षण के स्तरों पर विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के आकलन और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक कार्यक्रमों की शुरुआत करना;
- (व) खेलकूद उद्योग और खेलकूद पेशेवरों के सहयोग से उपायों की शुरुआत करना ताकि खेलकूद में पेशेवर उत्कृष्टता, शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा दिया जा सके;
- (घ) "डिरटेंस लर्निंग" और "ओपन एप्रोच" के माध्यम से निर्देश देने और नॉन-फॉर्मल (ओपन लर्निंग) स्ट्रीम से फॉर्मल स्ट्रीम में तथा विपरीत दशा में विद्यार्थियों की मोविलिटी की व्यवस्था करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली में अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की जयाबदेही लागू करने के लिए एक वैकल्पिक योजना को शामिल करना;
- (च) अध्यापकों के लिए नीति संहिता, अन्य कर्मचारियों के लिए आचरण संहिता और विद्यार्थियों के लिए अनुशासन संहिता निर्धारित करना; और
- (ह) जैसा आवश्यक हो अथवा विश्वविद्यालय की समस्त अथवा किन्हीं शक्तियों के अनुपालन में सहायक हो अथवा विश्वविद्यालय के समस्त अथवा किन्हीं उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक हो, अन्य ऐसी सभी गतिविधियां और कार्य करना।

7. विश्वविद्यालय की विशिष्ट विशेषताएं:-

- (i) यह एक राज्य विश्वविद्यालय होगा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के तत्वावधान में स्थापित किया जाएगा तथा उसका रखरखाव तथा प्रशासनिक कामकाज किया जाएगा।
- (ii) विश्वविद्यालय का प्रयास होगा कि साझा मॉडल सुविधाओं के आधार पर खेलकूद सुविधाओं का संचालन किया जाए, जबकि विश्वविद्यालय द्वारा दिल्ली सरकार और इसकी एजेंसियों के अधीन वर्तमान खेलकूद सुविधाओं और अवसंरचना पर नियंत्रण को साझा किया जाएगा।
- (iii) यह विश्वविद्यालय की औपचारिक शिक्षा प्रणाली के समान शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, तथापि, इसमें खिलाड़ियों के प्रवेश के लिए विविध साधन होंगे, जिन्हें निर्धारित ब्रिज कोर्सेस करने होंगे ताकि वे औपचारिक शिक्षा प्रणाली में हिस्सा ले सकें।
- (iv) इसमें प्रणाली विज्ञान, उपकरण, शारीरिक फिटनेस, खेलकूद की दवाओं इत्यादि में विकास और अनुसंधान के लिए एक व्यापक भौतिक और शैक्षिक अवसंरचना होनी चाहिए।
- (v) विशिष्ट खेलकूद उत्कृष्टता केंद्र होने चाहिए ताकि विभिन्न खेलकूद और गोम्स के क्षेत्रों में प्रतिभाओं को खोजा जा सके और उत्कृष्टता को बढ़ावा दिया जा सके। उत्कृष्टता केंद्रों में मेन्टॉर आधारित मॉड्यूल होने चाहिए, जबकि विख्यात खिलाड़ियों को संस्थान का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया जाना चाहिए ताकि भावी खिलाड़ियों को तैयार किया जा सके।
- (vi) इसमें विश्वविद्यालय, अध्ययन और अन्य पाठ्यक्रमों का ऑफर देने वाले विद्यालय होने चाहिए ताकि खेलकूद की दवाओं, खेलकूद प्रौद्योगिकी, खेलकूद व्यावसाय एवं खेलकूद गतिविधियों तथा मीडिया प्रबंधन तथा ऐसे अन्य पाठ्यक्रमों, जो आवश्यक समझे जाते हैं, में विशेषज्ञ प्रशिक्षण दिया जा सके।
- (vii) दिल्ली सरकार के आरंभिक अनुदान की सहायता से विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, तथापि, इसे प्रोत्साहित किया जाएगा कि अपने आवर्ती व्यय के लिए यह राजस्व अर्जक मॉडलों को शामिल करे तथा उनका विकास करे।
- (viii) विश्वविद्यालय का प्रयास होगा कि यह, खेलों के विकास, खेल भावना को बढ़ाने, स्वस्थ जीवन शैली, मनोरंजन के लिए खेलकूद और शारीरिक व्यायाम इत्यादि जैसी विभिन्न प्रकार के सामुदायिक सेवा तथा विस्तार कार्यक्रमों में हिस्सा ले जिसमें महिलाओं और शारीरिक रूप से अक्षम दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों इत्यादि की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाता हो।
- (ix) खेलकूद को बढ़ावा देने और खेलकूद आधारित प्रशिक्षण और प्रतिभाओं को संवारने के लिए विश्वविद्यालय का प्रयास होगा कि ऐसे समान प्रकार के राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से सहयोग लिया जाए।
- (x) विश्वविद्यालय द्वारा विशेषकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में तथा सामान्यतया देश में खेल प्रतिभाओं की पहचान करने, उन्हें प्रशिक्षित करने और इन प्रतिभाओं को संवारने के लिए समग्र विकास करने और इन व्यक्तियों को शैक्षिक ज्ञान देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा ताकि वे अपने खेलकूद करियर की समाप्ति के बाद आम समाज का हिस्सा बन सकें।
- (xi) विश्वविद्यालय द्वारा एक विशिष्ट बोर्डिंग विद्यालय को बढ़ावा दिया जाएगा, उसका विकास किया जाएगा तथा उसका प्रशासन चलाया जाएगा ताकि वहां विद्यालय स्तर की शिक्षा दी जा सके और विद्यालय की औपचारिक शिक्षा के साथ-साथ खेलों में उत्कृष्टता और खेल प्रतिभाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
- (xii) विश्वविद्यालय में प्रवेश के विविध माध्यम होंगे ताकि यहां आने के इच्छुक व्यक्तियों, विद्यार्थियों और प्रोफेशनल्स को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन्हें खेलों के एक अथवा अन्य पहलुओं में लगाया जा सके।
- (xiii) विश्वविद्यालय में खेलकूद विद्यालय, यसंत कुंज के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालय के खेलकूद विद्यालय के समान कोटा होगा, ताकि वे विश्वविद्यालय में उपयुक्त तरीके से दाखिला पा सकें।

8. विश्वविद्यालय के प्राधिकारी: - विश्वविद्यालय के निम्नलिखितप्राधिकारी होंगे, अर्थात् :-

- (i) प्रबंधन बोर्ड;
- (ii) कोर्ट;

9. विजिटर

- (i) भारत गणराज्य के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे।
(ii) विश्वविद्यालय और विधि द्वारा जिल्ली में स्थापित किसी अन्य विश्वविद्यालय के बीच किसी विवाद को विजिटर को प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा तथा पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा।

10. कुलपति

- (i) उप राज्यपाल, दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे।
(ii) कुलाधिपति विश्वविद्यालय के उच्चतम प्राधिकारी होंगे और उपस्थित रहने पर, डिग्रियां प्रदान करने के लिए आयोजित विश्वविद्यालय के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
(iii) कुलाधिपति इस अधिनियम के प्रावधानों की शर्त पर, निर्धारित शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे।
(iv) शक्तियों के बिना किसी पूर्वाग्रह के, जैसा निर्धारित किया जाता हो, कुलाधिपति को, इस अधिनियम के प्रावधानों की शर्त पर निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी:
(क) कुलाधिपति को निरीक्षण करने की शक्ति प्राप्त होगी, जो इस कार्य के लिए विश्वविद्यालय के किसी भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को निर्देश दे सकता है कि वे विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित खेलकूद केंद्रों अथवा डिबीजनों, प्रयोगशालाओं और उपकरणों, खेलकूद अवसंरचना और सुविधाओं तथा साथ ही अध्यापन, व्यावसायिक प्रशिक्षण और परीक्षा अथवा आकलन और अन्य कार्यों अथवा विश्वविद्यालय द्वारा किए गए कार्यों, इसके डिबीजन के केंद्रों, जैसा भी मामला हो का निरीक्षण कर सकें और किसी मामले में इस प्रकार की जाने वाली जांच का कारण बन सकें, जो विश्वविद्यालय, इसके केंद्रों अथवा डिबीजन, जैसा भी मामला हो, के प्रशासनिक अथवा वित्तीय मामलों से जुड़े हों।
(ख) कुलाधिपति द्वारा प्रत्येक मामले में, अपने आशय की सूचना विश्वविद्यालय को दी जाएगी कि किस कारण निरीक्षण अथवा जांच की जानी है और विश्वविद्यालय द्वारा ऐसी सूचना प्राप्त होने पर, सूचना में प्राप्त निर्धारित अवधि की जानकारी के भीतर आवश्यक समझे जाने वाले प्रतिवेदन कुलपति को प्रस्तुत किए जाएंगे।
(ग) विश्वविद्यालय द्वारा किए गए किसी प्रतिवेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, कुलाधिपति ऐसा कोई निरीक्षण अथवा जांच कर सकेंगे, जैसा उपखंड (3) में उल्लिखित है।
(घ) जहां कुलाधिपति द्वारा कोई निरीक्षण अथवा जांच की जानी हो, तो विश्वविद्यालय को हक होगा कि वह एक प्रतिनिधि नियुक्त करे, जिसे अधिकार होगा कि वह उक्त निरीक्षण अथवा जांच के समय उपस्थित रहे और सुनवाई कर सके।
(ङ) जैसा उप-खंड (3) में उल्लिखित है, कुलाधिपति द्वारा उक्त निरीक्षण अथवा जांच के परिणाम कुलपति को बताए जा सकते हैं और कुलपति उनकी जानकारी, उक्त जानकारी के साथ कुलपति के विचार आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रबंधन बोर्ड को देगा।
(च) प्रबंधन बोर्ड द्वारा किसी प्रस्तावित कार्रवाई, यदि कोई हो, और उक्त निरीक्षण अथवा जांच की जानकारी कुलपति के माध्यम से कुलाधिपति को दी जाएगी।
(छ) जहां प्रबंधन बोर्ड द्वारा कुलपति की संतुष्टि के अनुसार पर्याप्त समय के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की जाती, तो कुलाधिपति उपयुक्त समझे जाने वाले दिशा-निर्देश जारी कर सकता है और प्रबंधन बोर्ड को उन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।
(ज) इस खंड के आगामी प्रावधानों के बिना किसी पूर्वाग्रह के, कुलाधिपति, लिखित आदेश के द्वारा, विश्वविद्यालय की किसी गतिविधि को निरस्त कर सकता है जो इस अधिनियम, संविधि अथवा अध्यादेश के अनुरूप नहीं हो।
(झ) बशर्ते ऐसा कोई आदेश करने से पूर्व, कुलपति द्वारा विश्वविद्यालय को कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा कि ऐसे किसी आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और बताए गए किसी कारण, यदि कोई हो, पर उसके द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर विचार करेगा।

11. प्रबंधन बोर्ड

- (i) विश्वविद्यालय का प्रबंधन बोर्ड मुख्य कार्यकारी निकाय होगा और एक शैक्षणिक वर्ष में इसकी कम से कम दो बैठकें आयोजित की जाएंगी।
(ii) प्रबंधन बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल और इसकी शक्तियां तथा गतिविधियां निर्धारण अनुसार होंगी।
(iii) विश्वविद्यालय के कुलपति प्रबंधन बोर्ड के अध्यक्ष होंगे।
(iv) प्रबंधन बोर्ड में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात् -
(क) कुलपति: अध्यक्ष (पदेन);
(ख) सम-कुलपति (पदेन);
(ग) खेलकूद, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानवता विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्रों से न्यूनतम चार और अधिकतम छह प्रसिद्ध व्यक्ति सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे (कुलपति की सिफारिश पर)। नामित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, अनिवार्य रूप से, खेलों के क्षेत्र से होगा।
(घ) दो प्रसिद्ध व्यक्ति औद्योगिक क्षेत्र से अथवा खेलों से जुड़े किसी संगठन से, जो सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे (कुलपति की सिफारिश पर)।
(ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) का एक प्रतिनिधि;
(च) भारतीय खेलकूद अकादमी, भारत सरकार का एक प्रतिनिधि;
(छ) मुख्य सचिव/सरकार के सचिव (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा) (पदेन);
(ज) मुख्य सचिव अथवा सरकार के सचिव, वित्त (पदेन);
(झ) मुख्य सचिव अथवासचिव, उच्च शिक्षा सरकार के (पदेन);

- (vi) पदेन सदस्यों के अलावा बोर्ड के नामित सदस्यों की कार्य अवधि, तीन वर्ष की होगी किंतु वे अधिकतम दो अवधियों के लिए पुनः नामांकन के लिए पात्र होंगे;
- (vii) बोर्ड के किसी सदस्य की सदस्यता उस स्थिति में समाप्त हो जाएगी, यदि वह त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है अथवा यह दिवालिया हो जाता है अथवा यह किसी नैतिक भ्रष्टता के कारण किसी अपराध में दोषी पाया जाता होय कोई सदस्य, जो विश्वविद्यालय का कर्मचारी हो, यदि वह किसी अन्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता हो अथवा यदि वह पदेन सदस्य न होने पर, कुलपति की पूर्व अनुमति लिए बिना बोर्ड की तीन लगातार बैठकों में शामिल नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में उसकी सदस्यता भी समाप्त हो जाएगी;
- (viii) एक पदेन सदस्य के अलावा बोर्ड का कोई सदस्य, अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड को संबोधित एक पत्र द्वारा अपना त्यागपत्र दे सकता है और जैसा ही उक्त त्यागपत्र स्वीकार किया जाता है, उस दिन से ही सदस्य द्वारा पद से त्याग मान लिया जाएगा;
- (ix) बोर्ड में कोई पद रिक्त होने पर उसे संबंधित नामांकन प्राधिकारी द्वारा भरा जाएगा और रिक्त पद की अवधि समाप्त हो जाने के बाद उक्त नामांकन को समाप्त मान लिया जाएगा;

12. प्रबंधन बोर्ड की शक्तियां, कार्य और बैठकें-

- (i) बोर्ड की शक्तियों और कार्यों का विवरण इस प्रकार है:-
- (क) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट और वार्षिक लेखा-जोखा पर विचार करना और उक्त लेखा-जोखा पर लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर संकल्प पारित करना;
- (ख) वित्तीय शक्तियों का उपयोग करना और विश्वविद्यालय के वित्तीय, लेखा, निवेश, परिसंपत्ति, व्यवसाय तथा अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों का प्रबंधन और विनियमन करना तथा इस उद्देश्य से, समितियों का गठन करना और जैसा उपयुक्त समझा जाता हो, उन समितियों अथवा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की शक्तियों का प्रत्यायोजन करना;
- (ग) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी धनराशि का निवेश करना, साथ ही जैसा समय-समय पर उपयुक्त समझा जाता हो, वित्त समिति की सलाह पर किसी लगाई न गई आमदनी को प्रतिभूति में लगाना, जिसमें अधिगृहीत भूमि अथवा सरकार की सहायता से निर्मित भवन शामिल नहीं होंगे, ऐसे मामलों में, सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक होगी;
- (घ) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाओं के लिए करार करने, उनमें परिवर्तन करने अथवा रद्द करने के लिए, जैसा उपयुक्त समझा जाता हो, इस उद्देश्य से किसी अधिकारी को नियुक्त करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के कार्य के लिए भवन, परिसर, फर्नीचर, कंप्यूटर और उपकरणों तथा अन्य आवश्यक माध्यमों की व्यवस्था करना;
- (च) विश्वविद्यालय के अधिकारियों, अध्यापकों, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की शिकायतों पर विचार करना, उन पर निर्णय लेना और यदि उपयुक्त समझा जाता हो, तो उनका हल करना;
- (छ) सीनेट की सिफारिशों पर सभी समूहों के पद सृजित करना और विश्वविद्यालय में शैक्षणिक के साथ-साथ अन्य पदों पर व्यक्तियों की नियुक्त करना;
- (ज) विश्वविद्यालय के लिए एक कॉमन सील तय करना;
- (झ) 'विदेशी विद्यार्थियों, भारतीय मूल के व्यक्तियों (PIOs), अप्रवासी भारतीयों (NRI) और प्रायोजित विद्यार्थियों' को प्रवेश देने के लिए समय-समय पर निर्धारित उच्च शुल्क की तुलना में नीतिगत सुपरन्यूमररी दिशा-निर्देश निर्धारित करना;
- (ञ) ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करना और अन्य ऐसे कर्तव्यों का निष्पादन करना, जो आवश्यक समझे जाते हों अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत इस पर लागू किए जाते हों
- (ii) (क) बोर्ड की एक वर्ष में कम से कम दो बैठकें होंगी, और प्रत्येक बैठक के लिए सामान्यतः पन्द्रह दिन पहले नोटिस दिया जाएगा।
- (ख) रजिस्ट्रार द्वारा कुलपति के निर्देशानुसार अथवा बोर्ड के कम से कम आठ सदस्यों के अनुरोध पर बोर्ड की बैठक बुलाई जाएगी;
- (ग) बोर्ड के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य मिलकर बैठक का कोरम तैयार करेंगे;
- (घ) सदस्यों के बीच किसी मामले में भिन्न राय होने पर, बहुमत की राय मानी जाएगी;
- (ङ) प्रत्येक सदस्य का एक वोट माना जाएगा और यदि कोर्ट द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान रह जाती है, तो बोर्ड के अध्यक्ष अथवा, जैसा भी मामला हो, बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य के पास, अतिरिक्त रूप से, एक कार्टिंग वोट होगा।
- (च) अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड द्वारा बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, जो विश्वविद्यालय के कुलपति होंगे। कुलपति की अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम सम-कुलपति प्रबंधन बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, और यदि विश्वविद्यालय में कोई सम-कुलपति नहीं हों, तो वरिष्ठतम डीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे
- (छ) आपात मामलों में, अध्यक्ष द्वारा प्रबंधन बोर्ड की शक्तियों का उपयोग किया जा सकता है और उनके द्वारा विश्वास में की गई किसी कार्यवाही को बोर्ड की आगामी बैठक में सुधार के लिए बोर्ड को सूचित किया जाएगा और बोर्ड द्वारा अध्यक्ष के उक्त निर्णय में या तो कोई सुधार किया जा सकता है अथवा उसे आशोधन के साथ स्वीकार किया जा सकता है और बोर्ड द्वारा अध्यक्ष के किसी निर्णय के किसी आशोधन अथवा उसे अस्वीकार किए जाने की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, उक्त मामला पूर्व प्रभाव से अर्थात् अध्यक्ष के उक्त निर्णय के क्रियान्वयन की तारीख से आशोधित अथवा अस्वीकृत माना जाएगा।
- (ज) यदि बोर्ड द्वारा तात्कालिक कार्यवाही आवश्यक हो जाती हो, तो अध्यक्ष, प्रबंधन बोर्ड, व्यावसायिक लेन-देन के लिए बोर्ड के सदस्यों को कागजात जारी करके अनुमति प्रदान कर सकते हैं और की जाने वाली प्रस्तावित कार्यवाही तब तक नहीं की जाएगी जब तक कि बोर्ड के सदस्यों का बहुमत सहमत न हो जाता हो इस प्रकार की जाने वाली कार्यवाही से बोर्ड के सभी सदस्यों को अवगत कराया जाएगा और यदि संबंधित प्राधिकारी कोई निर्णय लेने में

- (क) अध्यक्ष: कुलपति विश्वविद्यालय के (पदेन);
 (ख) सम-कुलपति (पदेन);
 (ग) चार व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारियों नहीं होंगे, जिनका चयन कुलपति की सिफारिश पर सीनेट द्वारा प्रतिष्ठित खिलाड़ियों, शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों अथवा इंजीनियरों में से किया जाएगा;
 (घ) विश्वविद्यालय के अनुदान आयोग के एक नामिती;
 (ङ) भारतीय खेलकूद अकादमी के एक नामिती;
 (च) कुलपति द्वारा नामित खेलकूद उद्योग का एक प्रतिनिधि;
 (छ) विश्वविद्यालय के सभी डीन;
 (ज) कुलपति द्वारा नामित चार विभागाध्यक्ष;
 (झ) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के चार प्रोफेसर;
 (ञ) कुलपति द्वारा नामित एक एसोसिएट प्रोफेसर और एक सहायक प्रोफेसर;
 (ट) परीक्षा नियंत्रक;
 (ठ) कुलपति द्वारा नामित एक प्रख्यात व्यक्ति जो भूतपूर्व छात्र रहा हो;
 (ड) कुलपति द्वारा नामित विद्यार्थियों के दो प्रतिनिधि; और
 (ढ) रजिस्ट्रार - सदस्य- सचिव (पदेन)।
 (iv) पदेन सदस्यों के अलावा, सीनेट के सदस्यों का कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा, केवल विद्यार्थी प्रतिनिधि का कार्यकाल एक वर्ष का होगा;

14. सीनेट की शक्तियां, गतिविधियां और बैठकें -

- (i) इस अधिनियम के प्रावधानों, संविधि, अध्यादेश और विनियमों की शर्त पर तथा बोर्ड के संपूर्ण पर्यवेक्षण में, सीनेट द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक कार्यों और मामलों का प्रबंध किया जाएगा और जिनमें विशेष कर निम्नलिखित शक्तियां और गतिविधियां होंगी, अर्थात्:-
 (क) बोर्ड द्वारा इसे सौंपे गए अथवा प्रत्यायोजित कोई मामलों पर रिपोर्ट देना;
 (ख) विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के सृजन, उन्मूलन अथवा वर्गीकरण तथा उनसे संबंधित देय परिलब्धियों और कर्तव्यों के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना;
 (ग) विभिन्न विषयों की फेकल्टी और शैक्षणिक विभागों के सृजन और उन्मूलन के संबंध में बोर्ड को सिफारिश करना;
 (घ) विश्वविद्यालय में रिसर्च को बढ़ावा देना और उस रिसर्च पर समय-समय पर रिपोर्ट लेना;
 (ङ) शैक्षणिक गतिविधियों पर अध्यापकों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
 (च) विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए नीतियां निर्धारित करना;
 (छ) अन्य विश्वविद्यालयों के डिप्लोमा और डिग्रियों को मान्यता प्रदान करना और विश्वविद्यालय के डिप्लोमा और डिग्रियों के संबंध में उनका समकक्ष होना निर्धारित करना;
 (ज) बोर्ड द्वारा स्वीकार्य शर्तों पर, स्कॉलरशिप और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता की शर्तें, समय और माध्यम तय करना और उनके लिए पुरस्कार की सिफारिश करना;
 (झ) परीक्षकों और रीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति करना, और यदि उन्हें हटाना आवश्यक हो और उनकी फीस, परिलब्धियां, यात्रा और अन्य भत्ते तथा खर्च निर्धारित करना;
 (ञ) परीक्षाओं के आयोजन तथा आयोजन की तारीखों की व्यवस्था के लिए सिफारिश करना;
 (ट) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना और उनकी समीक्षा करना अथवा इन कार्यों के लिए समितियां अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्रियां, सम्मान, डिप्लोमा, लाइसेंस, उपाधि और अंक तालिका प्रदान करना अथवा उसके लिए सलाह देना;
 (ठ) वृत्तिका, छात्रवृत्तियां, मैडल और पुरस्कार तथा संविधि और पुरस्कारों से संबद्ध अन्य शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;
 (ड) अध्ययन के लिए निर्धारित कोर्स के पाठ्यक्रम अनुमोदित करना अथवा उसे संशोधित करना अथवा निर्धारित अथवा सिफारिश की गई पाठ्य पुस्तकों को सूचीबद्ध करना और विश्वविद्यालय द्वारा उनके प्रकाशन का निर्णय लेना;
 (ढ) समय-समय पर ऐसे फॉर्म और रजिस्टरों का अनुमोदन करना, जो अध्यादेश और विनियम के लिए अपेक्षित होते हैं;
 (ण) समय-समय पर, शिक्षा के अपेक्षित मानकों का सृजन करना ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे शैक्षिक अभिलेखों और पाठ्यक्रमों को तैयार करने में उनका पालन किया जा सके;
 (त) शैक्षिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहण करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अधिनियम तथा इसके अंतर्गत बनाए गए अध्यादेश और संविधि के समुचित अनुपालन के लिए आवश्यक होते हैं;
 (ii) (क) आवश्यक होने पर सीनेट की बैठक आयोजित की जा सकेगी, किंतु एक शैक्षिक वर्ष में इन बैठकों की संख्या तीन से कम नहीं होगी;
 (ख) सीनेट के आधे मौजूदा सदस्य मिलकर सीनेट की बैठक का कोरम बनाएंगे;
 (ग) सदस्यों के बीच किसी मामले में भिन्न राय होने पर, बहुमत की राय मानी जाएगी;
 (घ) सीनेट के प्रत्येक सदस्य का एक वोट माना जाएगा और यदि सीनेट द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान रह जाती है, तो सीनेट के अध्यक्ष के पास, अतिरिक्त रूप से, एक कास्टिंग वोट होगा;
 (ङ) सीनेट की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और कुलपति की अनुपस्थिति में, कुलपति द्वारा नामित सम-कुलपति बैठक की अध्यक्षता करेंगे और उनकी अनुपस्थिति में, वरिष्ठतम डीन बैठक की अध्यक्षता करेंगे;

यदि सीनेट द्वारा तात्कालिक कार्रवाई आवश्यक बन पड़ती हो, तो सीनेट के अध्यक्ष कामकाज जारी रखने के लिए सीनेट के सभी सदस्यों को परिपत्र जारी कर सकते हैं और उसमें प्रस्तावित कार्रवाई तब तक क्रियान्वित नहीं की जाएगी,

- (क) कुलाधिपति, जो अध्यक्ष होंगे;
- (ख) सरकार के शिक्षा मंत्री (पदेन);
- (ग) कुलपति (पदेन);
- (घ) सम-कुलपति (पदेन);
- (ङ) प्रधान सचिव/सचिव (प्रशिक्षण और तकनीकी शिक्षा) सरकार के (पदेन);
- (च) प्रधान सचिव/सचिव (उच्च शिक्षा) सरकार के (पदेन);
- (छ) प्रधान सचिव/सरकार के सचिव (वित्त) (पदेन);
- (ज) निदेशक, शिक्षा सरकार के (पदेन);
- (झ) खेलकूद, प्रौद्योगिकी, विज्ञान, मानवता विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्रबंधन के क्षेत्रों से कुलपति की सिफारिश पर चार प्रसिद्ध व्यक्ति सरकार द्वारा नामित किए जाएंगे। नामित प्रसिद्ध व्यक्तियों में से एक व्यक्ति, अनिवार्य रूप से, खेलों के क्षेत्र से होगा।
- (ञ) विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्रों का एक प्रतिनिधि कुलाधिपति द्वारा दो वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा;
- (ट) कुलपति द्वारा नामित विश्वविद्यालय के चार डीन;
- (ठ) कुलपति द्वारा नामित दो खेलकूद विभागाध्यक्ष;
- (ड) गैर-अध्यापन स्टाफ में से एक सदस्य कुलपति द्वारा रोटेशन के आधार पर एक वर्ष की अवधि के लिए नामित किया जाएगा;
- (ढ) रजिस्ट्रार - सदस्य-सचिव (पदेन).
- (ii) पदेन सदस्यों के अलावा, कोर्ट के नामित सदस्यों कार्यकाल, तीन वर्ष का होगा।
- (iii) यदि कोई व्यक्ति अपने पद अथवा अपनी नियुक्ति के कारण कोर्ट का सदस्य बन जाता है, तो अपने पद अथवा नियुक्ति की समाप्ति पर उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी।
- (iv) कोर्ट के किसी सदस्य की सदस्यता उस स्थिति में समाप्त हो जाएगी, यदि वह त्यागपत्र देता है अथवा उसकी मानसिक स्थिति खराब हो जाती है अथवा वह दिवालिया हो जाता है अथवा वह किसी नैतिक भ्रष्टता के कारण किसी अपराध में दोषी पाया जाता हो।
- (v) एक सदस्य की सदस्यता उस स्थिति में समाप्त हो जाएगी यदि वह किसी अन्य विश्वविद्यालय में पूर्णकालिक नियुक्ति स्वीकार करता हो अथवा यदि वह एक पदेन सदस्य न होने पर कोर्ट की तीन लगातार बैठकों में हिस्सा लेने में विफल रहता हो।
- (vi) एक पदेन सदस्य के अलावा, कोर्ट का कोई सदस्य, कुलपति को संबोधित पत्र भेजते हुए अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है और कुलाधिपति द्वारा उक्त त्यागपत्र स्वीकार करते ही त्यागपत्र प्रभावी हो जाएगा।
- (vii) कोर्ट में किसी रिक्त पद को संबंधित कोर्ट के नामांकन प्राधिकारी द्वारा नामांकन करके भरा जाएगा और रिक्ति की अवधि की समाप्ति पर उक्त नामांकन की प्रभाविता समाप्त हो जाएगी।
16. कोर्ट की शक्तियां, गतिविधियां और बैठकें-
- (i) इस अधिनियम की शर्तों के आधार पर, कोर्ट द्वारा समय-समय पर विश्वविद्यालय की व्यापक नीतियों और कार्यक्रमों तथा विश्वविद्यालय के सुधार और विकास की समीक्षा की जाएगी, कोर्ट को निम्नलिखित अन्य कार्य और शक्तियां प्राप्त होंगी :-
- (क) प्रबंधन बोर्ड द्वारा व्यापक नीतियां अथवा उनके कोई प्रस्तावित आशोधन;
- (ख) इसके पास परामर्श के लिए आने वाले किसी मामले के संबंध में कुलाधिपति को सलाह देना; और
- (ग) ऐसे अन्य निर्धारित कार्य करना।
- (ii) प्रत्येक कैलेंडर वर्ष में कोर्ट की सामान्यतः कम से कम एक बैठक होनी चाहिए और यह कि कोर्ट की बैठक रजिस्ट्रार द्वारा कुलाधिपति की अनुमति से आयोजित की जाएगी;
- (iii) कोर्ट की प्रत्येक बैठक के लिए सामान्यतः पन्द्रह दिन पहले नोटिस दिया जाएगा;
- (iv) कोर्ट के कुल सदस्यों में से आधे सदस्य मिलकर कोरम तैयार करेंगे;
- (v) प्रत्येक सदस्य का एक वोट माना जाएगा और यदि कोर्ट द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान रह जाती है, तो कोर्ट के अध्यक्ष के पास, अतिरिक्त रूप से, एक कास्टिंग वोट होगा;
- (vi) सदस्यों के बीच किसी मामले में भिन्न राय होने पर, बहुमत की राय मानी जाएगी;
17. खेलकूद एवं शैक्षिक परिषद
- (i) खेलकूद एवं शिक्षा परिषद मुख्य परामर्शी निकाय का कार्य करेगा, जो खेलकूद, शैक्षिक, अनुसंधान और अन्य प्रोफेशन लडोमेन पर विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड को सलाह देगा।
- (ii) ये इस अधिनियम के प्रावधानों की शर्त पर संविधि और अध्यादेश पर नियंत्रण और विनियम रखेंगे तथा विश्वविद्यालय के भीतर निर्वेशों, शिक्षा, अनुसंधान और परीक्षा मानकों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगे और शिक्षा तथा खेलकूद तथा परीक्षा और मूल्यांकन प्रणाली के क्षेत्रों में ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग करेंगे तथा ऐसे अन्य कार्यों का निर्वाह करेंगे, जो संविधि द्वारा निर्धारित होंगे अथवा लागू होंगे।
- (iii) खेलकूद एवं शिक्षा परिषद का गठन और इसके सदस्यों का कार्यकाल निर्धारित शर्तों के अनुसार होगा।
- (iv) खेलकूद एवं शिक्षा परिषद में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे, अर्थात्:-
- (क) कुलपति, जो अध्यक्ष होंगे;
- (ख) खिलाड़ियों, प्रतिष्ठित शिक्षाविदों अथवा साहित्यिक व्यक्तियों अथवा प्रसिद्ध आम नागरिकों में से पांच व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हो और सरकार द्वारा नामित किए जाते हों;

18. खेलकूद एवं शिक्षा परिषद की शक्तियां, गतिविधियां और बैठकें—

- (i) इस अधिनियम के प्रावधानों, संविधि और विनियम और प्रबंधन बोर्ड के संपूर्ण पर्यवेक्षण की शर्त पर, खेलकूद एवं शिक्षा परिषद विश्वविद्यालय में शिक्षा संबंधी कार्यों का प्रबंधन करेगी और विशेषकर उसे निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी और यह निम्नलिखित गतिविधियां कर सकेगी, अर्थात्—
- (क) गवर्निंग बॉडी अथवा प्रबंधन बोर्ड द्वारा प्रस्तुत अथवा प्रत्यायोजित किसी मामले पर रिपोर्ट देना;
- (ख) विश्वविद्यालय में प्रशिक्षक और अध्यापन स्टाफ के पदों के सृजन, उनकी समाप्ति अथवा वर्गीकरण के संबंध में प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करना और उनसे संबद्ध देय परिलब्धियों और कार्यों की जानकारी देना;
- (ग) फ़ैकल्टी संगठन के लिए स्कीमें तैयार करना और उन्हें आशोधित अथवा संशोधित करना और उक्त फ़ैकल्टी को उनके संबंधित विषय सौंपना तथा साथ ही प्रबंधन बोर्ड को किसी फ़ैकल्टी की समाप्ति अथवा सब-डिवीजन के औचित्य अथवा एक फ़ैकल्टी को दूसरी से जोड़े जाने की रिपोर्ट देना;
- (घ) विश्वविद्यालय में नियोजित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को निर्देश देने तथा उनकी परीक्षा के लिए व्यवस्थाओं की सिफारिश करना;
- (ङ) विश्वविद्यालय के भीतर अनुसंधान कार्यों को बढ़ावा देना और समय-समय पर, उन अनुसंधानों की रिपोर्ट देना;
- (च) फ़ैकल्टी द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार करना;
- (छ) विश्वविद्यालय में दाखिलों के लिए नीति निर्धारित करना;
- (ज) अन्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों के मान्यता प्राप्त डिप्लोमा और डिग्रियों की सिफारिश करना और उनके विश्वविद्यालय के प्रमाण पत्रों, डिप्लोमा और डिग्रियों के समकक्ष होने का निर्धारण करना;
- (झ) कोर्ट द्वारा स्वीकार्य शर्तों पर, फ़ैलोशिप, स्कॉलरशिप और अन्य पुरस्कारों के लिए प्रतियोगिता की शर्तें, समय और माध्यम तय करना और उनके लिए पुरस्कार की सिफारिश करना;
- (ञ) परीक्षकों और परीक्षा नियंत्रकों की नियुक्ति करने, और यदि उन्हें हटाना आवश्यक हो और उनकी फीस, परिलब्धियां, यात्रा और अन्य भत्ते तथा खर्चे निर्धारित करने हो;
- (ट) परीक्षाओं के आयोजन तथा आयोजन की तारीखों की व्यवस्था के लिए सिफारिश करना;
- (ठ) विभिन्न परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना और उनकी समीक्षा करना अथवा इन कार्यों के लिए समितियां अथवा अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्रियां, सम्मान, डिप्लोमा, लाइसेंस, उपाधि और अंक तालिका प्रदान करना अथवा उसके लिए सलाह देना;
- (ड) वृत्तिका, छात्रवृत्तियां, मैडल और पुरस्कार तथा संविधि और पुरस्कारों से संबद्ध अन्य शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार प्रदान करना;
- (ढ) अध्ययन के लिए निर्धारित कोर्स के पाठ्यक्रम अनुमोदित करना अथवा उसे संशोधित करना अथवा निर्धारित अथवा सिफारिश की गई पाठ्य पुस्तकों को सूचीबद्ध करना और विश्वविद्यालय द्वारा उनके प्रकाशन का निर्णय लेना;
- (ण) समय-समय पर ऐसे फॉर्म और रजिस्ट्रों का अनुमोदन करना, जो समय-समय पर विनियम के लिए अपेक्षित होते हैं;
- (त) समय-समय पर, शिक्षा के अपेक्षित मानकों का सृजन करना ताकि विश्वविद्यालय में पढ़ाए जा रहे शैक्षिक अभिलेखों और पाठ्यक्रमों को तैयार करने में उनका पालन किया जा सके;
- (थ) शैक्षिक मामलों के संबंध में, ऐसे सभी कर्तव्यों का निर्वहण करना और ऐसे समस्त कार्य करना, जो इस अधिनियम के प्रावधानों और विनियमों के समुचित अनुपालन के लिए आवश्यक होते हैं।
- (ii)(क) खेलकूद एवं शिक्षा परिषद आवश्यक होने पर बैठकें कर सकती है, किंतु ऐसी बैठकों की संख्या एक शैक्षिक वर्ष के दौरान दो से कम नहीं होनी चाहिए।
- (ख) खेलकूद एवं शिक्षा परिषद की बैठक का कोरम पूरा करने के लिए खेलकूद एवं शिक्षा परिषद के आधे मीजूदा सदस्य उपस्थित होने चाहिए।
- (ग) यदि सदस्यों में किसी मामले को लेकर मतभेद होता है, तो बहुमत की राय सभी को माननी होगी।
- (घ) खेलकूद एवं शिक्षा परिषद के अध्यक्ष सहित खेलकूद एवं शिक्षा परिषद के प्रत्येक सदस्य का एक वोट तय होगा और यदि खेलकूद एवं शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित किसी प्रश्न पर वोटों की संख्या समान रह जाती है, तो अध्यक्ष के पास अथवा जैसा भी मामला हो, उक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे सदस्य के पास अतिरिक्त रूप से, एक कार्टिंग वोट होगा।
- (ङ) खेलकूद एवं शिक्षा परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता कुलपति द्वारा की जाएगी और उनकी अनुपस्थिति में एक चुने गए सदस्य द्वारा उस अवसर पर बैठक की अध्यक्षता की जाएगी।
- (च) यदि खेलकूद एवं शिक्षा परिषद द्वारा तात्कालिक कार्यवाई करना आवश्यक हो तो, खेलकूद एवं शिक्षा परिषद के अध्यक्ष कामकाज जारी रखने के लिए खेलकूद एवं शिक्षा परिषद के सभी सदस्यों को परिपत्र जारी कर सकते हैं और उसमें प्रस्तावित कार्यवाई तब तक क्रियान्वित नहीं की जाएगी, जब तक खेलकूद एवं शिक्षा परिषद के सदस्यों के बहुमत द्वारा उस पर सहमति न हो जाती हो, और ऐसी किसी की गई कार्यवाई की जानकारी खेलकूद एवं शिक्षा परिषद के सभी सदस्यों को न दे दी जाती हो और यदि संबंधित प्राधिकारी किसी मामले में कोई निर्णय नहीं ले पाते हैं, तो मामला कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय अंतिम होगा।

19. योजना बोर्ड

- (i) विश्वविद्यालय का एक योजना बोर्ड गठित किया जाएगा, जो मुख्य परामर्शी निकाय होगा, जो विश्वविद्यालय के प्रबंधन बोर्ड को योजना, वृद्धि और विकास पर सलाह देगा और ऐसे मुद्दों पर प्रबंधन बोर्ड के निर्णयों के क्रम में विश्वविद्यालय के नियोजित विकास और वृद्धि पर नजर रखने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
- (ii) योजना बोर्ड का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल और इसकी शक्तियां और गतिविधियां तथा विनिर्धारित होंगी।

20. वित्त समिति

- (i) विश्वविद्यालय में एक वित्त समिति गठित की जाएगी, जो संसाधनों के सृजन, वित्तीय सावधानी, व्यय पर नियंत्रण और लेखा प्रबंधन के संबंध में प्रबंधन बोर्ड को सलाह देने के लिए मुख्य परामर्शी निकाय का कार्य करेगी, जो ऐसे मुद्दों पर प्रबंधन बोर्ड के निर्णयों के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए भी उत्तरदायी होगी।
- (ii) यह विश्वविद्यालय की संपूर्ण वित्तीय स्थिरता और संसाधनों के सृजन, व्यय पर नियंत्रण और लेखा प्रबंधन की शर्तों के लिए भी उत्तरदायी होगी।
- (iii) वित्त समिति का गठन, इसके सदस्यों का कार्यकाल और इसकी शक्तियां तथा गतिविधियां यथा विनिर्धारित होंगी।
- (iv) एक वित्त समिति होगी जिसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल होंगे:-
- (क) कुलपति (अध्यक्ष (पदेन));
- (ख) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव (प्रशिक्षण एवं तकनीकी शिक्षा) अथवा उनके नामिती (पदेन);
- (ग) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव (वित्त) अथवा उनके नामिती (पदेन);
- (घ) सरकार के प्रधान सचिव/सचिव (योजना)/निदेशक योजना अथवा उनके नामिती (पदेन);
- (ङ) सरकार के प्रधान सचिव अथवा सचिव (उच्च शिक्षा) अथवा उनके नामिती;
- (च) सम-कुलपति (पदेन);
- (छ) रजिस्ट्रार (पदेन);
- (ज) बोर्ड द्वारा अपने सदस्यों में से दो अन्य सदस्य नामित किए जाना, जिनमें कम से कम एक सदस्य विश्वविद्यालय का कर्मचारी होना चाहिए;
- (झ) वित्त नियंत्रक- सदस्य-सचिव (पदेन);
- (व) पदेन सदस्यों के अलावा, वित्त समिति के सदस्यों की कार्यावधि तीन वर्ष होगी;
- (vi) वित्त समिति की गतिविधियां और कर्तव्य इस प्रकार होंगे :-
- (क) विश्वविद्यालय के वार्षिक बजट की जांच और छानबीन करना तथा वित्तीय मामलों की सिफारिशें प्रबंधन बोर्ड को करना;
- (ख) नए व्यय के प्रस्तावों पर विचार करना और प्रबंधन बोर्ड को उनकी सिफारिशें करना;
- (ग) ग्रेडों के संशोधन से संबंधित सभी प्रस्तावों, वेतनमानों और उन मर्दों का अपग्रेडेशन, जो बजट में शामिल नहीं होते, की जांच प्रबंधन बोर्ड के विचारार्थ रखे जाने से पूर्व वित्त समिति द्वारा की जाएगी;
- (घ) वित्त नियंत्रक द्वारा तैयार किए गए विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा-जोखा और वित्तीय अनुमान विचार करने हेतु वित्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाते हैं और तत्पश्चात् उन्हें प्रबंधन बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है;
- (ङ) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर, वर्ष में होने वाले कुल आवर्ती और गैर-आवर्ती व्यय की सीमाएं निर्धारित करना, और विश्वविद्यालय द्वारा वित्त समिति की अनुमति के बिना, उस निर्धारित सीमा से अधिक व्यय नहीं किया जाएगा;
- (च) विश्वविद्यालय को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय मामले में अपनी राय देना और प्रबंधन बोर्ड को सिफारिश करना, जो या तो स्वयं अपनी पहल से हो सकती है अथवा प्रबंधन बोर्ड के संदर्भ पर हो सकती है;
- (छ) विश्वविद्यालय से संबंधित किसी धनराशि के साथ ही निवेश की सिफारिश करना, जिसमें जैसा समय-समय पर उपयुक्त समझा जाता हो, किसी लगाई न गई आमदनी को प्रतिभूति अथवा क्रय करने अथवा भारत में अचल सम्पत्ति में लगाना शामिल होगा; जिसमें समय-समय पर ऐसे निवेशों में परिवर्तन शामिल हो सकता है।
- (vii) वित्त समिति की, एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें होंगी; वित्त समिति के पांच सदस्य मिलकर किसी बैठक का कोरम पूरा करेंगे;
- (viii) सदस्यों में भिन्न राय होने की स्थिति में, उपस्थित सदस्यों के बहुमत की राय लागू होगी

21. भवन एवं निर्माण समिति -

- (i) विश्वविद्यालय में एक भवन एवं निर्माण समिति गठित की जाएगी, जो मुख्य योजना निकाय के रूप में विश्वविद्यालय के इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण, रखरखाव कार्यों और मॉनिटरिंग के लिए भी उत्तरदायी होगी;
- (ii) भवन एवं निर्माण समिति का गठन इसके सदस्यों का कार्यकाल और इसकी शक्तियां और गतिविधियां यथा विनिर्धारित होंगी;

22. अन्य प्राधिकारी :-

अन्य प्राधिकारियों का गठन, शक्तियां और गतिविधियां, जो विश्वविद्यालय के संविधि के तहत घोषित की जा सकती हैं, यथा विनिर्धारित होंगी।

23. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों के गठन में विवाद

यदि कोई प्रश्न उठता है कि क्या किसी व्यक्ति का चयन हुआ है अथवा नियुक्त किया गया है अथवा वह विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का एक सदस्य है, तो भागला कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा, जिनका निर्णय इस संबंध में अंतिम होगा।

24. विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों का कोरम

बहु सदस्यों वाले विश्वविद्यालय प्राधिकरण का कोरम बैठक में भाग लेने वाले उसके कुल सदस्यों की संख्या की एक-तिहाई संख्या से कम नहीं होगा, इसमें शक्तियों की संख्या शामिल नहीं होगी।

- (iii) डीन;
- (iv) निदेशक ;
- (v) रजिस्ट्रार;
- (vi) वित्त नियंत्रक;
- (vii) परीक्षा नियंत्रक;
- (viii) खेलकूद सुविधाओं का प्रशासक;
- (ix) पुस्तकाध्यक्ष
- (x) प्रोक्टर
- (xi) प्रधानाचार्य और
- (xii) विश्वविद्यालय के ऐसे अन्य अधिकारी जो संविधि के द्वारा अधिकारी घोषित किए जाते हैं।

26. कुलपति

- (i) कुलपति एक खेलकूद स्कॉलर अथवा एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का खिलाड़ी होना चाहिए।
- (ii) कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा निर्धारित तरीके से तथा निर्धारित अवधि के लिए की जाएगी तथा इसके लिए परिलब्धियाँ और अन्य शर्तें तय की जाएंगी।
- (iii) कुलपति विश्वविद्यालय के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे और विश्वविद्यालय के कार्यों का पर्यवेक्षण करेंगे तथा उन पर नियंत्रण रखेंगे।
- (iv) इस अधिनियम के लागू प्रावधानों, संविधि और अध्यादेश की शर्त पर, कुलपति विश्वविद्यालय के समस्त प्राधिकरणों के निर्णयों को लागू करेगा।
- (v) कुलपति के मत में, यदि किसी मामले में तत्काल कार्रवाई करनी आवश्यक हो, तो वह विश्वविद्यालय के प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं शक्तियों का उपयोग कर सकेगा और इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में उसके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्रबंधन बोर्ड को देगा। बशर्तें यदि प्रबंधन बोर्ड का यह मत हो कि उक्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो उस मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जा सकेगा, इस मामले में उनका निर्णय अंतिम होगा।

बशर्तें इसके कि विश्वविद्यालय में सेवारत कोई व्यक्ति इस उप-खंड के तहत कुलपति की कार्रवाई से असंतुष्ट होता है तो उसे उक्त कार्रवाई की सूचना मिलने के 90 दिन के भीतर कार्रवाई के विरुद्ध प्रबंधन बोर्ड से अपील करने का अधिकार होगा और इस पर प्रबंधन बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकता है, उसे आशोधित कर सकता है अथवा उलट भी सकता है।

- (vi) कुलपति के मत में, यदि किसी मामले में तत्काल कार्रवाई करनी आवश्यक हो, तो वह विश्वविद्यालय के प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं शक्तियों का उपयोग कर सकेगा और इस अधिनियम के तहत ऐसे मामलों में उसके द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी प्रबंधन बोर्ड को देगा।

बशर्तें यदि प्रबंधन बोर्ड का यह मत हो कि उक्त कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए थी, तो उस मामले को कुलाधिपति को प्रस्तुत किया जा सकेगा, इस मामले में उनका निर्णय अंतिम होगा।

बशर्तें इसके कि विश्वविद्यालय में सेवारत कोई व्यक्ति इस उप-खंड के तहत कुलपति की कार्रवाई से असंतुष्ट होता है तो उसे उक्त कार्रवाई की सूचना मिलने के 90 दिन के भीतर कार्रवाई के विरुद्ध प्रबंधन बोर्ड से अपील करने का अधिकार होगा और इस पर प्रबंधन बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकता है, उसे आशोधित कर सकता है अथवा उलट भी सकता है।

- (vii) कुलपति ऐसी अन्य शक्तियों का उपयोग कर सकेगा और ऐसे अन्य कार्य कर सकेगा जो संविधि और अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए गए हों।

बशर्तें इसके कि विश्वविद्यालय में सेवारत कोई व्यक्ति इस उप-खंड के तहत कुलपति की कार्रवाई से असंतुष्ट होता है तो उसे उक्त कार्रवाई की सूचना मिलने के 90 दिन के भीतर कार्रवाई के विरुद्ध प्रबंधन बोर्ड से अपील करने का अधिकार होगा और इस पर प्रबंधन बोर्ड कुलपति द्वारा की गई कार्रवाई की पुष्टि कर सकता है, उसे आशोधित कर सकता है अथवा उलट भी सकता है।

27. सभ-कुलपति

सभ-कुलपति की नियुक्ति तय परिलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों के तहत उस तरीके से की जाएगी और वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगा तथा ऐसे अन्य कार्य कर सकेगा जो संविधि और अध्यादेश द्वारा निर्धारित किए गए हों।

28. डीन

प्रत्येक डीन की नियुक्ति उस तरीके से की जाएगी और वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगा तथा ऐसे कार्य कर सकेगा जो निर्धारित किए गए हों।

29. रजिस्ट्रार

- (iv) इस अधिनियम के प्रावधानों, संविधि और अध्यादेश की शर्तों पर रजिस्ट्रार को शक्तियां प्राप्त होगी कि वह विश्वविद्यालय की ओर से कोई करार कर सकेगा तथा उन पर हस्ताक्षर कर सकेगा।
- (v) रजिस्ट्रार को एडवोकेट नियुक्त करने, वकालतनामे पर हस्ताक्षर करने, विश्वविद्यालय की ओर से किसी विधिक अथवा न्यायालय की कार्यवाही में शपथ पत्र देने की शक्ति प्राप्त होगी।
30. वित्त नियंत्रक
- वित्त नियंत्रक की नियुक्ति तय परिलिखियों और सेवा की अन्य शर्तों के तहत उस तरीके से की जाएगी और वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगा तथा ऐसे कार्य कर सकेगा जो निर्धारित किए गए हों।
31. निदेशक
- प्रत्येक निदेशक की नियुक्ति उस तरीके से की जाएगी और वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगा तथा ऐसे कार्य कर सकेगा जो निर्धारित किए गए हों।
32. परीक्षा नियंत्रक
- परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति उस तरीके से की जाएगी और वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगा तथा ऐसे कार्य कर सकेगा जो निर्धारित किए गए हों।
33. खेलकूद सुविधाओं के प्रशासक
- खेलकूद सुविधाओं के प्रशासकों की नियुक्ति उस तरीके से की जाएगी और वे उन शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे तथा ऐसे कार्य कर सकेंगे जो निर्धारित किए गए हों।
34. प्रोक्टर
- (i) प्रोक्टर विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड का प्रमुख होगा जिसका उत्तरदायित्व विद्यार्थियों के बीच अनुशासन कायम करना होगा।
- (ii) प्रोक्टोरियल बोर्ड निर्धारित तरीके से गठित किया जाएगा।
- (iii) प्रोक्टर की नियुक्ति उस तरीके से की जाएगी और वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगा तथा ऐसे कार्य कर सकेगा जो निर्धारित किए गए हों।
35. प्रधानाचार्य
- दिल्ली खेलकूद विद्यालय के प्रधानाचार्य की नियुक्ति उस तरीके से की जाएगी और वह उन शक्तियों का उपयोग कर सकेगा तथा ऐसे कार्य कर सकेगा जो निर्धारित किए गए हों।
36. अन्य अधिकारी
- विश्वविद्यालय के अन्य अधिकारियों की नियुक्ति, परिलिखियां और शक्तियों और कर्तव्यों का तरीका यथा विनिर्धारित होगा।
37. शैक्षिक और अनुसंधान
- (i) खेलकूद और संबद्ध क्षेत्रों में अध्ययन के लिए विभिन्न शैक्षिक और अनुसंधान कार्य विश्वविद्यालय के महत्वपूर्ण शैक्षिक कार्य होंगे।
- (ii) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की शक्तियों के पूर्वाग्रह के बिना विश्वविद्यालय के अध्ययन, विद्यालय की स्थापना करने और उसे समाप्त करने के प्राधिकार के संबंध में विश्वविद्यालय के निम्नलिखित विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यालयों द्वारा ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट और रिसर्च लेवल पर अपनी शैक्षिक और अनुसंधान गतिविधियां चलाने की शक्ति प्राप्त होगी:
- (क) प्रौद्योगिकी खेलकूद विद्यालय का विश्वविद्यालय
- (ख) स्वास्थ्य विज्ञान खेलकूद विद्यालय का विश्वविद्यालय
- (ग) नीतिशास्त्र, मानवता और सामाजिक विज्ञान खेलकूद विद्यालय का विश्वविद्यालय
- (घ) अर्थशास्त्र और प्रबंधन खेलकूद विद्यालय का विश्वविद्यालय
- (ङ) स्थापत्य कला खेलकूद विद्यालय का विश्वविद्यालय
- (च) विश्वविद्यालय का शारीरिक शिक्षा विद्यालय और अध्यापकों का प्रशिक्षण
- (iii) विश्वविद्यालय द्वारा अपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट रिसर्च डिग्री कोर्स विकसित किए जाएंगे और खेलकूद एवं शिक्षा परिषद के अनुमोदन के पश्चात् इन्हें एक अध्ययन प्रोग्राम के रूप में शुरू किया जाएगा।

- (i) यह विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यालय के भीतर एक मुख्य शैक्षिक निकाय होगा और यह और विद्यालय की योजना तथा शैक्षिक गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा।
- (ii) अध्ययन बोर्ड का गठन निर्धारित विधि द्वारा किया जाएगा।
- (ख) विद्यालय अनुसंधान समिति:
- (i) यह विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यालय के भीतर एक मुख्य अनुसंधान निकाय होगा और यह और विद्यालय की अनुसंधान गतिविधियों का पर्यवेक्षण करेगा।
- (ii) अध्ययन बोर्ड का गठन निर्धारित विधि द्वारा किया जाएगा।
38. कौशल विकास, मनोरंजक खेलकूद, सामुदायिक सेवा और विस्तार सेवाएं—
- (i) विश्वविद्यालय का एक सेंटर फॉर कम्युनिटी आउटरीच और विस्तार सेवाएं होगा, जो कौशल विकास, मनोरंजक खेलकूद, सामुदायिक सेवा और विस्तार सेवाएं को बढ़ावा देने की गतिविधियों का आयोजन करेगा।
- (ii) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की शक्तियों के पूर्वाग्रह के बिना प्राधिकरण द्वारा समाज में खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए एक अथवा अन्य अल्पावधि वाले शैक्षिक और प्रोफेशनल पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। केंद्र द्वारा निम्नलिखित अल्पावधि पाठ्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं—
- (क) अप्रवीण और विकलांग खिलाड़ियों के लिए कौशल विकास के अल्पावधि पाठ्यक्रम।
- (ख) खेलकूद संबंधी व्यवसायों में जॉब ओरिएंटेड सर्टिफिकेट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम।
- (ग) सामान्य शिक्षा प्रणाली से वंचित खिलाड़ियों और खेल कर्मियों, जो औपचारिक शिक्षा प्रणाली में फिर से प्रवेश लेना चाहते हैं और एक अथवा अन्य औपचारिक शिक्षा की डिग्री लेना चाहते हैं, की शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए त्रिज पाठ्यक्रम।
- (iii) केंद्र विभिन्न अन्य प्रकार के मनोरंजक और खेलों संबंधी कम्युनिटी आउटरीच और विस्तार गतिविधियों में शामिल होगा ताकि आम जनता में खेल कौशल, खेलों में भागीदारी और खेलकूद संबंधी मूल्यांकन किया जा सके।
- (iv) केंद्र का प्रमुख एक निदेशक होगा, जिसका पदनाम निदेशक होगा (कम्युनिटी आउटरीच और एक्सटेंशन सर्विसेस)।
- (v) पाठ्यक्रम के विवरण, प्रोग्राम स्ट्रक्चर, मैथडोलॉजी, नियमित सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्सेस विश्वविद्यालय के खेलकूद एवं शिक्षा परिषद द्वारा गठित उप-समिति द्वारा विकसित किए जा सकते हैं।
- (vi) कुलपति द्वारा एक सेंटर कोऑर्डिनेशन कमेटी गठित की जाएगी जिसमें विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यालय के तीन प्रोफेसर शामिल होंगे और खेलकूद में पेशेवर उत्कृष्टता केंद्र से तीन प्रोफेशनल्स होंगे, जो सामान्यतः इस सेंटर से दो वर्ष से जुड़े होंगे ताकि वे समय-समय पर संपूर्ण पर्यवेक्षण कार्य, नीतिगत दिशा-निर्देश तैयार करने और सेंटर की गतिविधियों पर नजर रखने का कार्य कर सकें।
- (vii) सेंटर के निदेशक सेंटर कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष होंगे।
39. खेलकूद में पेशेवर विकास और उत्कृष्टता
- (i) विश्वविद्यालय में एक पेशेवर उत्कृष्टता खेलकूद केंद्र होगा, जो खेलकूद के विशिष्ट प्रशिक्षण और कोचिंग डिवीजन का कामकाज और प्रबंधन देखेगा ताकि राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय खेलों के लिए खिलाड़ियों को तैयार कर सके।
- (ii) विशिष्ट खेलकूद डिवीजन का कामकाज और प्रबंधन पेशेवर उत्कृष्टता खेलकूद केंद्र द्वारा देखा जाएगा, जो प्रतिभाओं को निखारने और संभावित खिलाड़ियों के खेल कौशल को प्रखर करने के लिए संस्थान की रूपरेखा तैयार करेगा।
- (iii) किसी खेलकूद डिवीजन को स्थापित करने तथा उसके कामकाज को समेटने के लिए विशिष्ट विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों की शक्तियों के पूर्वाग्रह के बिना, केंद्र में निम्नलिखित खेलकूद डिवीजन होंगे—
- (क) एथलेटिक्स डिवीजन
- (ख) फील्ड स्पोर्ट्स डिवीजन
- (ग) एक्वेटिक गेम्स डिवीजन
- (घ) इंडोर गेम्स डिवीजन
- (ङ) स्वदेशी स्पोर्ट्स डिवीजन
- (च) एडवेंचर स्पोर्ट्स डिवीजन
- (iv) पेशेवर उत्कृष्टता खेलकूद केंद्र के समस्त खेलकूद डिवीजनों के लिए यह सकारात्मक होगा कि वे महत्वाकांक्षी खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए गुणवत्तापरक प्रशिक्षण सुविधाएं और इन्फ्रास्ट्रक्चर को बनाए

- (vi) पेशेवर उत्कृष्टता खेलकूद केंद्र के खेलकूद डिवीजनों का प्राथमिक उद्देश्य युवा खेल प्रतिभाओं की खोज करना तथा एक खिलाड़ी के रूप में उनकी प्रतिभा को निखारना और उनके कौशल को प्रखर करना है ताकि वे एक खिलाड़ी के रूप में अपना सफल करियर बना सकें।
- (vii) जैसा खेलकूद में पेशेवर उत्कृष्टता प्राप्त करना केंद्र का मूल उद्देश्य है, प्रशिक्षणार्थियों को खेलकूद का प्रशिक्षण देने की पूर्ण प्रतिबद्धता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली विकसित की जाएगी और साथ ही उनकी शिक्षा के सशक्तिकरण के लिए एक तरीका सुनिश्चित किया जाएगा कि उनका ध्यान खेलों की उत्कृष्टता पर रहे। इसके लिए अंतिम प्रावधान यह होगा कि शिक्षा को उदार बनाया जाए ताकि प्रशिक्षणार्थियों को खेलकूद में पेशेवर उत्कृष्टता के सकारात्मक पहलुओं से समझौता किए बिना शैक्षिक दक्षता की एक मानक डिग्री प्राप्त करना सुनिश्चित की जा सके।
- (viii) प्रत्येक खेलकूद डिवीजन उन व्यक्तियों के लिए 'मल्टीपल एंट्री-सिस्टम' और 'स्पेशल इंडक्शन प्रोग्राम' के लिए उपयुक्त प्रावधान करेगा, जो डिवीजन में अपने दाखिले के समय किसी खेल में प्रतिभा दिखाते हों अथवा रखते हों।
- (ix) एक खेल प्रशिक्षणार्थी को किसी एक अथवा अन्य डिवीजन में प्रशिक्षण/कोचिंग प्रोग्राम सफलतापूर्वक पूरा करने पर बी०ए०(खेलकूद)/बी.एससी.(खेलकूद) की सामान्य डिग्री प्रदान की जाएगी बशर्ते वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उद्देश्यों और तय खेल प्रदर्शन की शर्तें पूरी करता हो।
- (x) जो प्रशिक्षणार्थी अपनी नैसर्गिक खेल प्रतिभा के बल पर युवावस्था में डिवीजन में आ जाते हों उन्हें अपनी औपचारिक शिक्षा जारी रखने के लिए विश्वविद्यालय के ट्रिज पाठ्यक्रमों/प्रोग्राम्स के लाभ लेने की अनुमति दी जाएगी।
- (xi) केंद्र के डिवीजन समय-समय पर एक अथवा अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल आयोजनों में अपने प्रशिक्षणार्थियों की भागीदारी की सुविधा के लिए मेकेनिज्म और प्रक्रियाओं का विकास करेंगे।
- (xii) केंद्र के डिवीजन अर्हता प्राप्त प्रशिक्षक, विशेषज्ञ, कोच तैयार करने के लिए अपने कार्य क्षेत्र के तहत आने वाले विशिष्ट खेलकूद/गेम्स के लिए प्रोग्राम और मॉड्यूल भी डिजाइन करेंगे।
- (xiii) पेशेवर उत्कृष्टता खेलकूद केंद्र का प्रमुख एक निदेशक होगा, जो अपने अधीन स्थापित खेलकूद और विभिन्न खेलकूद डिवीजनों में व्यावसायिक विकास एवं उत्कृष्टता केंद्र के संपूर्ण कार्यों के आयोजन के लिए उत्तरदायी होगा।
- (xiv) प्रत्येक खेलकूद डिवीजन का प्रमुख एक प्रोफेशनल होगा, जो निदेशक (खेलकूद में व्यावसायिक विकास एवं उत्कृष्टता केंद्र) को रिपोर्ट करेगा। प्रोफेशनल प्रमुख संबंधित खेलकूद डिवीजन के दिन-प्रतिदिन के कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। खेलकूद डिवीजन का प्रोफेशनल प्रमुख स्वयं एक प्रतिष्ठित खिलाड़ी होगा।
- (xv) पेशेवर खेलकूद उत्कृष्टता परिषद (विश्वविद्यालय के अद्ययन विद्यालय के अध्ययन बोर्ड के समकक्ष) पेशेवर उत्कृष्टता खेलकूद केंद्र का नीति निर्धारक निकाय होगा। परिषद में खेलकूद डिवीजन के प्रोफेशनल प्रमुख, विख्यात खिलाड़ी (प्रत्येक खेलकूद डिवीजन के प्रत्येक विशेषज्ञ क्षेत्र से एक) शामिल होंगे। परिषद की अध्यक्षता खेलकूद में पेशेवर उत्कृष्टता केंद्र के निदेशक द्वारा की जाएगी, जो परिषद के एक सदस्य भी होंगे।

40. युवा खेल-प्रतिभाओं की खोज और उनका विकास

- (i) विश्वविद्यालय द्वारा एक बोर्डिंग विद्यालय की स्थापना, उसकी देखभाल और प्रबंधन किया जाएगा ताकि खेल प्रतिभाओं को उनकी युवावस्था से ही निखारा जा सके।
- (ii) विद्यालय द्वारा छठी कक्षा के आगे खेल प्रतिभाओं की पहचान की जाएगी और ऐसे विद्यार्थियों को दाखिला दिया जाएगा तथा एक सफल प्रोफेशनल करियर के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जाएगा।
- (iii) विद्यालय, विश्वविद्यालय के लिए एक विशेषज्ञ फीडर संस्थान के रूप में कार्य करेगा और विद्यालय से पास होने वाले विद्यार्थियों को दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय में शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।
- (iv) पाठ्यक्रम संरचना, पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या और विद्यालय के विवरण उदार शिक्षा और कड़े खेलकूद प्रशिक्षण वाले होंगे। पाठ्यक्रम पाठ्यचर्या के शैक्षिक विवरण उदार विद्यालय प्रणाली, जैसे राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय प्रणाली (NIOS) अथवा दिल्ली पत्राचार विद्यालय और खेलकूद प्रशिक्षण मॉड्यूल के समकक्ष विवरण विकसित किए जाएंगे, जिन्हें विश्वविद्यालय के खेलकूद एवं शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
- (v) विद्यालय को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, यदि उदार शिक्षा और कड़े खेलकूद प्रशिक्षण मॉड्यूल के कारण केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से ऐसी संबद्धता होने में कठिनाई हो, तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा स्थापित एक शारीरिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध होना चाहिए।
- (vi) विद्यालय का दिन-प्रतिदिन का कामकाज, प्रशासन और प्रबंधन विद्यालय के प्रधानाचार्य के नियंत्रण में होगा। विद्यालय के प्रधानाचार्य की स्थिति निदेशक, कम्प्यूनिटी आउटरीच और एक्सटेंशन सर्विसेस के समकक्ष होगी।
- (vii) विद्यालय का संपूर्ण पर्यवेक्षण और प्रशासनिक कार्य की शक्तियां विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के अधीन होंगी। तथापि, एक खेलकूद संस्थान की भांति इसके व्यावसायिक प्रबंधन के लिए विद्यालय की कार्यशैली स्वायत्त होगी।
- (viii) अपना स्वयं का शैक्षिक और खेलकूद ढांचा विकसित करना तथा विद्यालय के बच्चों की आवश्यकताओं के अनुरूप सुविधाएं जुटाना विद्यालय का प्रयास होगा। विद्यालय में विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापक और खेलकूद प्रोफेशनल्स होंगे, जो इसके विद्यार्थियों को दिन-प्रतिदिन शिक्षण तथा खेलकूद का प्रशिक्षण देंगे।

41. संविधियां :-

इस अधिनियम के प्रावधानों की शर्त अनुसार, निम्नलिखित समस्त अथवा किन्हीं मामलों के लिए संविधि का प्रावधान किया जाएगा, अर्थात् :-

- (i) विश्वविद्यालय का गठन, उसके प्राधिकरणों और अन्य निकायों की शक्तियां और गतिविधियां आवश्यक पाए जाने

- (iv) अध्यापकों, खेलकूद प्रोफेशनल्स और विश्वविद्यालय के खेलकूद प्रशिक्षकों, अन्य शैक्षिक स्टाफ, और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति का तरीका और उनकी परिलक्षियां;
- (v) एक संयुक्त परियोजना के लिए अध्यापकों और किसी अन्य विश्वविद्यालय में कार्यरत अन्य शिक्षाविद् कर्मचारियों का एक विशिष्ट अवधि के लिए नियुक्ति का तरीका, उनकी सेवा की निबंधन एवं शर्तों और परिलक्षियां;
- (vi) सेवा की निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन;
- (vii) विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त अध्यापक और शैक्षिक स्टाफ के अन्य सदस्य; और
- (viii) अन्य कर्मचारी, भले ही विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त हों;
- (ix) पेंशन अथवा भविष्य निधि का गठन और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए बीमा योजना निर्धारित करना;
- (x) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों की वरीयता निर्धारण करने वाले सिद्धांत;
- (xi) विश्वविद्यालय के किसी कर्मचारी अथवा किसी विद्यार्थी द्वारा अपील किए जाने की प्रक्रिया;
- (xii) मानद डिग्रियां प्रदान करना;
- (xiii) फेलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप, मैडल और पुरस्कार तथा अन्य प्रोत्साहन;
- (xiv) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों में अनुशासन बनाए रखना;
- (xv) विश्वविद्यालय के अध्ययन विद्यालयों, केंद्रों और खेलकूद डिवीजनों में अध्यक्ष तय करना;
- (xvi) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों अथवा अधिकारियों को निहित शक्तियों का प्रत्यायोजन; और;
- (xvii) अन्य समस्त मामले अथवा इस अधिनियम के अंतर्गत, जिनकी व्यवस्था संविधि के तहत की जानी हो अथवा की गई हो।

42. संविधि बनाना

- (i) सर्वप्रथम, संविधि वे होते हैं जो इस अधिनियम की अधिसूचना के तीस दिनों के भीतर कुलाधिपति की पूर्ण अनुमति सरकार द्वारा बनाए जाते हैं।
- (ii) प्रबंधन बोर्ड, समय-समय पर, नए अथवा अतिरिक्त संविधि बना सकता है अथवा उन्हें संशोधित कर सकता है अथवा उप-खंड (1) में उल्लिखित संविधि को निरस्त कर सकता है:

वशर्तें प्रबंधन बोर्ड द्वारा ऐसे संविधियां नहीं बनाएं जाएंगे अथवा संशोधित अथवा निरस्त नहीं किए जाएंगे, जो विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के ओहदा, शक्तियां अथवा गठन को प्रभावित करते हों, जब तक उक्त प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित बदलाव के लिए लिखित रूप में अपनी राय व्यक्त करने का पर्याप्त अवसर प्रदान न किया जाता हो और प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित समय-सीमा के भीतर ऐसी किसी राय के व्यक्त होने पर प्रबंधन बोर्ड द्वारा उस पर विचार किया जाएगा।

- (iii) प्रत्येक नयी संविधि अथवा संविधि में किसी जुड़ाव अथवा किसी संशोधन अथवा उन्हें निरस्त करने के लिए कुलाधिपति के अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जो उन पर अपनी सहमति दे सकते हैं अथवा अपनी स्वीकृति को रोकें रख सकते हैं अथवा उसे प्रबंधन बोर्ड द्वारा की गई टिप्पणियों, यदि कोई हों, पर पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं।
- (iv) एक नयी संविधि अथवा एक संशोधित संविधि अथवा किसी विद्यमान नियम का निरस्तीकरण तब तक वैध नहीं होगा जब तक कि इसे कुलाधिपति की स्वीकृति न प्राप्त हो जाती हो:
- (v) आगामी उप-खंड में कुछ निहित होते हुए भी, इस अधिनियम की शुरुआत के तत्काल बाद से तीन वर्ष की अवधि के दौरान कुलाधिपति नए अथवा अतिरिक्त संविधि बना सकता है अथवा उप-खंड (1) में उल्लिखित संविधि को संशोधित अथवा निरस्त कर सकता है।

43. सरकार के सरकारी राजपत्र में संविधि का प्रकाशन:-

- (i) इस अधिनियम के अंतर्गत बिना प्रत्येक संविधि सरकार के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाएगा।
- (ii) इस अधिनियम के अंतर्गत बना प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के तत्काल बाद, दिल्ली विधान सभा के चल रहे सत्र के दौरान प्रस्तुत किया जाएगा, तीस दिन चलने वाले इस सत्र एक अथवा दो सत्र अथवा आगामी अधिक सत्र हो सकते हैं, और यदि, आगामी सत्र की तत्काल समाप्ति अथवा उपर्युक्त आगामी सत्रों से पहले, सदन संविधि में कोई आशोधन करने के लिए सहमत होता है अथवा सदन इस बात पर सहमत होता है कि नियम नहीं बनाए जाने चाहिए, तो तत्पश्चात् उसी आशोधित रूप में प्रभावी होंगे अथवा, जैसा भी मामला हो, प्रभावी नहीं होंगे; तथापि, ऐसा कोई आशोधन अथवा निरस्तीकरण, जैसा भी मामला हो, उक्त संविधि के तहत पूर्व में किसी वैधता के पूर्वाग्रह के बिना होंगे।
- (iii) संविधि में किया गया ऐसा कोई आशोधन अथवा उनका निरस्तीकरण सरकार के सरकारी राजपत्र में परिपत्रित किया जाएगा।

44. अध्यादेश

- (i) अधिनियम और संविधि के प्रायधानों की शर्त के अनुसार, निम्नलिखित सभी अथवा किसी मामले के लिए अध्यादेश की व्यवस्था की जाएगी, यथा:-
- (क) विद्यार्थियों की दाखिला, अध्ययन के लिए पाठ्यक्रम और उनका शुल्क, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य शैक्षिक और प्रोफेशनल डिप्लोमा, डिग्री, डिप्लोमा, प्रमाणपत्र और अन्य

- (घ) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के आचरण और कर्तव्यों का विनियमन, और विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के आचरण का विनियमन;
- (छ) कदाचार की श्रेणियां, जिनके लिए इस अधिनियम अथवा संविधि अथवा अध्यादेश के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी; और
- (ज) किसी अन्य मामले में, जिसकी अध्यादेश के द्वारा इस अधिनियम के द्वारा अथवा इसके अंतर्गत अथवा संविधि के द्वारा व्यवस्था की गई हो अथवा की जानी हो।
- (ii) प्रथम अध्यादेश सरकार की पूर्व अनुमति से कुलपति द्वारा तैयार किया जाएगा और उक्त अध्यादेश किसी भी समय प्रबंधन बोर्ड द्वारा निर्धारित तरीकों से संशोधित, निरस्त किया जा सकता है अथवा उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है।
- (iii) इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा उसके तहत बनाए गए नियमों की शर्त पर, कोई नया अध्यादेश अथवा किसी विद्यमान अध्यादेश में कोई संशोधन प्रबंधन बोर्ड द्वारा किया जाएगा।

45. अध्यादेश की अधिसूचना

- (i) प्रत्येक अध्यादेश बनाए जाने अथवा संशोधित किए जाने के लिए प्रबंधन बोर्ड के अनुमोदन के तारीख से तीन सप्ताह के भीतर कुलाधिपति को भेजा जाएगा।
- (ii) कुलाधिपति उस विद्यमान अध्यादेश को संशोधित, निरस्त कर सकता है अथवा प्रस्तावित बदलावों अथवा प्रस्तावित संशोधनों को, जैसा उपयुक्त समझे स्वीकृत कर सकता है।
- (iii) प्रबंधन बोर्ड द्वारा यथा अनुमोदित अथवा यथा संशोधित, कुलाधिपति द्वारा संशोधित अथवा परिवर्तित अध्यादेश, जैसा भी मामला हो, रजिस्ट्रार द्वारा अपने हस्ताक्षर और मोहर लगाते हुए अधिसूचित किया जाएगा। नया अथवा संशोधित अध्यादेश इसके अनुमोदन की तारीख से प्रभावी होगा।
- (iv) अधिसूचित अध्यादेश को प्रबंधन बोर्ड की आगामी बैठक में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा।

46. विनियम

- (i) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी, शैक्षिक और प्रशासनिक विभाग इस अधिनियम, संविधि और अध्यादेश के अनुरूप इस तरीके से विनियम बना सकते हैं, जैसा उनके अपने और उनके द्वारा नियुक्त समिति के कार्य के लिए तरीका संविधियां, यदि कोई हो, द्वारा निर्धारित होगा, इस तरीका की व्यवस्था इस अधिनियम, नियम अथवा अध्यादेश द्वारा निर्धारित नहीं किया जाता।
- (ii) शैक्षिक और प्रशासनिक विभागों द्वारा बनाए गए सभी विनियम कुलपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किए जाएंगे। कुलपति उन बदलावों के साथ इन्हें अनुमोदित कर सकता है, जैसा वह उपयुक्त समझता हो अथवा किसी बदलाव के बिना वह इन्हें अनुमोदित कर सकता है।
- (iii) विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों द्वारा बनाए गए अथवा कुलपति द्वारा यथा अनुमोदित विनियम, जैसा भी मामला हो, इन संविधि के बनाए जाने की तारीख से तीन सप्ताह के भीतर इन्हें रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा।
- (iv) प्रत्येक विनियम रजिस्ट्रार द्वारा अधिसूचना के पश्चात् प्रभावी होंगे।

47. वार्षिक रिपोर्ट

- (i) विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट प्रबंधन बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत तैयार की जाएगी, जिसमें अन्य मामलों के साथ, विश्वविद्यालय द्वारा अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए उठाए गए कदम शामिल होंगे।
- (ii) इस प्रकार तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट निर्धारित तारीख तक कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।
- (iii) उप-खंड (1) के तहत तैयार की गई वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति; सरकार को भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र, दिल्ली विधानसभा में भी प्रस्तुत की जाएगी।

48. वार्षिक लेखा

- (i) विश्वविद्यालय का वार्षिक लेखा और तुलन-पत्र प्रबंधन बोर्ड के दिशा-निर्देशों के तहत तैयार किया जाएगा और कम से कम पन्द्रह महीनों के अंतराल पर प्रति वर्ष एक बार भारत के नियंत्रक एवं महा लेखा परीक्षक द्वारा अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अथवा इस कार्य के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा इसकी लेखा परीक्षा की जाएगी।
- (ii) लेखा और लेखा परीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति, प्रबंधन बोर्ड की टिप्पणियों, यदि कोई हों, सहित कुलाधिपति को प्रस्तुत की जाएगी।
- (iii) वार्षिक लेखा रिपोर्ट पर कुलपति द्वारा की गई किन्हीं टिप्पणियों को प्रबंधन बोर्ड के ध्यान में लाया जाएगा, और प्रबंधन बोर्ड की टिप्पणियां कुलाधिपति को पुनः प्रस्तुत की जाएंगी।
- (iv) लेखा के साथ लेखा परीक्षा रिपोर्ट, जैसी कुलाधिपति को प्रस्तुत की गई हो, की एक प्रति सरकार के समक्ष भी प्रस्तुत की जाएगी, जो यथाशीघ्र, दिल्ली विधानसभा में भी प्रस्तुत की जाएगी।

49. डिग्री अथवा डिप्लोमा वापस लेना

- (i) बोर्ड या तो अपना कोई प्रस्ताव लाकर अथवा सीनेट की सिफारिश पर, किसी व्यक्ति को दिए गए किसी डिस्टिंक्शन, डिग्री, डिप्लोमा अथवा सुविधा को वापस ले सकता है, जिसके लिए बैठक में उपस्थित बोर्ड के उपस्थित कुल

- (iv) प्रबंधन बोर्ड के निर्णय से किसी व्यक्ति के आहत होने की स्थिति में, वह व्यक्ति उक्त संकल्प की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर कुलाधिपति से अपील कर सकता है।
- (v) ऐसी अपील के मामले में कुलाधिपति का निर्णय अंतिम होगा।
50. कर्मचारियों की सेवा की शर्तें
- (i) विश्वविद्यालय द्वारा अपने नियमित अथवा अन्यथा और संविदा की निबंधन एवं शर्तों के आधार पर नियुक्त प्रत्येक कर्मचारी से सेवा संबंधी एक लिखित करार किया जाएगा, जो इस अधिनियम के प्रावधानों, संविधि और अध्यादेश/विनियम से भिन्न नहीं होगा।
- (ii) उप-खंड (i) में उल्लिखित संविदा की एक प्रति विश्वविद्यालय के पास रहेगी और एक प्रति संबंधित कर्मचारी को दी जाएगी।
51. अधिकरण की मध्यस्थता
- (i) खंड 50 में उल्लिखित अनुसार विश्वविद्यालय और कर्मचारी के बीच हुई किसी संविदा के होने वाले किसी विवाद मध्यस्थता अधिकरण को प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें एक सदस्य प्रबंधन बोर्ड द्वारा नामित होगा, एक सदस्य संबंधित कर्मचारी द्वारा नामित होगा और कुलाधिपति द्वारा एक अंपायर नामित किया जाएगा।
- (ii) ऐसे प्रत्येक मामले में मध्यस्थता के लागू कानून के इस खंड के अनुसार यह माना जाएगा कि उसे मध्यस्थता के समक्ष प्रस्तुत किया जाना है और उक्त कानून के समस्त प्रावधानों के तहत इस संबंध में लागू होने वाले प्रावधान, तदनुसार लागू होंगे।
- (iii) मध्यस्थता अधिकरण के कार्य को विनियमित करने की प्रक्रिया वही होगी, जैसा निर्धारित किया जाता हो।
- (iv) मध्यस्थता अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा और अधिकरण द्वारा निर्णित मामले के संबंध में किसी न्यायालय में कोई मुकदमा दायर नहीं किया जाएगा।
52. भविष्य और पेंशन निधि
- विश्वविद्यालय द्वारा अपने कर्मचारियों के लाभ के लिए ऐसी भविष्य निधि अथवा पेंशन निधि अथवा बीमा योजनाएं तैयार की जाएंगी, जो इस तरीके से उपयुक्त समझी जाएंगी, जैसी शर्तें निर्धारित की जाती हैं।
53. आकस्मिक रिक्तियां भरना
- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा अन्य निकायों के सदस्यों (पदेन सदस्यों के अलावा) की आकस्मिक रिक्तियां, जितनी जल्दी हो सके सुविधानुसार, उक्त व्यक्ति अथवा निकाय द्वारा भरी जाएंगी, जो सदस्यों की नियुक्त करता है, उनका चुनाव करता है अथवा उनका विकल्प देता है, जिसके स्थान पर रिक्ति हुई हो और ऐसी आकस्मिक रिक्ति पर नियुक्त, चुना गया अथवा विकल्प दिया गया कोई व्यक्ति प्राधिकरण अथवा निकाय का एक सदस्य होगा, जो उतनी अवधि के लिए चुना जाएगा, जितनी उस सदस्य का कार्य अवधि बची होगी, जिसके स्थान पर वह चुना जाना हो।
54. सदभाव में की गई कार्रवाई का संरक्षण
- विश्वविद्यालय अथवा इसके किसी प्राधिकरण, अधिकारी अथवा कर्मचारी विश्वविद्यालय के किसी व्यक्ति अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण, अधिकारी अथवा कर्मचारी के आदेश अथवा दिशा-निर्देश का पालन कर रहे व्यक्तियों के निकाय के विरुद्ध सदभाव में अथवा इस अधिनियम के प्रावधानों अथवा संविधि अथवा अध्यादेश के अनुपालन में की जाने वाली किसी कार्रवाई के लिए किसी न्यायालय में कोई मुकदमा अथवा कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी।
55. विश्वविद्यालय रिकॉर्ड के साक्ष्य का तरीका
- विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण अथवा समिति की कोई रसीद, आवेदन, सूचना, आदेश, कार्यवाहियों, संकल्प की एक प्रति अथवा विश्वविद्यालय के पास उपलब्ध कोई दस्तावेज अथवा विश्वविद्यालय द्वारा रखे जाने वाले किसी रजिस्टर की कोई प्रविष्टि, यदि कार्यरत रजिस्ट्रार द्वारा प्रमाणित की जाती हो, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में कुछ निहित होते हुए भी अथवा उस समय लागू किसी अन्य कानून के होते हुए भी, उसे मामले का साक्ष्य माना जाएगा और उसके तहत हुआ कोई लेन-देन, जहाँ कोई मूल दस्तावेज प्रस्तुत किया जाता हो, साक्ष्य माना जाएगा।
56. समस्याओं को दूर करने की शक्ति
- यदि इस अधिनियम के प्रावधानों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न हो, तो सरकार, सरकारी राजपत्र में आदेश जारी करके, ऐसे प्रावधान कर सकती है, जो आवश्यक होते हैं अथवा कठिनाई को दूर करने के लिए इस


57. संक्रमण कालीन प्रावधान

इस अधिनियम और संविधि में कुछ निहित होते हुए भी,

- (i) प्रथम कुलपति और प्रथम रजिस्ट्रार की नियुक्ति कुलाधिपति द्वारा की जाएगी और ये संविधि द्वारा विनिर्दिष्ट सेवा की निबंधन एवं शर्तों द्वारा शासित होंगे;
- (ii) दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार और वित्त नियंत्रक की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाएगी।
- (iii) प्रथम प्रबंधन बोर्ड में सदस्य संख्या ऋतमशः पन्द्रह से अधिक और नौ से कम नहीं होगी, जो कुलाधिपति द्वारा नामित किए जाएंगे और उनका कार्यकाल तीन वर्ष का रहेगा।
- (iv) तब तक संविधि, अध्यादेश और विनियम नामित प्राधिकरणों द्वारा बनाए जाते हैं, गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली के संविधि, अध्यादेश और विनियम, जो अपेक्षित सीमा तक, एक अधिसूचना द्वारा प्रबंधन बोर्ड द्वारा अपनाए गए हैं, दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय के लिए लागू होंगे।

दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2019 की मुख्य विशेषताएं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली राज्य की विधान सभा द्वारा एक अधिनियम के माध्यम से दिल्ली खेलकूद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होंगे और भारत के राष्ट्रपति विश्वविद्यालय के विजिटर होंगे। कुलपति, जो एक स्कॉलर अथवा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक प्रसिद्ध खिलाड़ी होना चाहिए साथ ही उसे राष्ट्रीय स्तर के किसी खेलकूद संस्थान में काम करने का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए, उसे पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और उसका चयन एक तीन सदस्यीय समिति द्वारा किया जाएगा। विश्वविद्यालय के प्राधिकरणों, अर्थात् कोर्ट, सीनेट, प्रबंधन बोर्ड, खेलकूद एवं शिक्षा परिषद और वित्त समिति का गठन, शक्तियां और काम करने का तरीका विधिक प्रारूप में शामिल किया जाता है। संविधि और विनियम तैयार करने के प्रावधान, विश्वविद्यालय की वार्षिक रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत करने तथा उसे विधान सभा के पटल पर रखने के लिए भी प्रावधान किया गया है। विश्वविद्यालय के समस्त कर्मचारी और फ़ैकल्टी सदस्य संविदात्मक आधार पर तैनात किए जाएंगे, जैसा तरीका विश्वविद्यालय के गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय में अपनाया गया है, और उनके स्थायी नियोजन का तरीका बाद में विश्वविद्यालय के संविधियों में तय किया जाएगा।



(संजय कुमार अग्रवाल)
प्रधान सचिव (विधि, न्याय एवं विधायी कार्य)